मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ के द्वारा क्षमता विस्तार के तहत स्पंज आयरन प्लांट 66000 टी.पी.ए. इण्डक्शन फर्नेश विथ सी.सी.एम. फार विलेट कास्टर 135000 टी.पी.ए. फेरो एलायज प्लांट 7500 टी.पी.ए., ए.एफ.बी.सी. पॉवर प्लांट – 17 मेगावाट एवं डब्ल्यू.एच.आर.बी. पॉवर प्लांट–8 मेगावाट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 25 मई 2017 का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ के द्वारा क्षमता विस्तार के तहत स्पंज आयरन प्लांट 66000 टी.पी.ए. इण्डक्शन फर्नेश विथ सी.सी.एम. फार विलेट कास्टर 135000 टी.पी.ए. फेरो एलायज प्लांट 7500 टी.पी.ए., ए.एफ.बी.सी. पॉवर प्लांट–17 मेगावाट एवं डब्ल्यू.एच.आर.बी. पॉवर प्लांट–8 मेगावाट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 25.05.2017 को समय–10:30 बजे, स्थान–बंजारी मंदिर के समीप का स्थल, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 10:30 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीण जनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतीकरण से प्रांरभ हुई। सर्वप्रथम उद्योग की ओर से कंपनी के पर्यावरण सलाहकार श्री ए.के. सिन्हा ने कहा कि ''मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स लिमिटेड (जो पूर्व में सिद्धिविनायक स्पंज आयरन प्रा. लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)। ने अपने प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समक्ष प्रस्ताव रखा था। कि इस प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत कंपनी की वर्तमान स्पंज आयरन प्लांट की विस्तारीकरण परियोजना, एम. एस. बिलेट के उत्पादन के लिए इंडक्शन फर्नेस की स्थापना, 8 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजना, जो वेस्टहीट रिकवरी बॉयलर तकनीक पर आधारित होगी एवं अन्य 17 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजना, जो ए. एफ.बी.सी. बॉयलर तकनीक पर आधारित होगी, साथ ही, एक 5 एम.वी.ए. क्षमता के फेरो एलॉय प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव है। तदानुसार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 5 नवंबर 2008 के माध्यम से परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दी। ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 की धारा 7दो के तहत् परियोजना का विस्तारीकरण कंपनी के वर्तमान परिसर के अन्दर होने की वजह से परियोजना को जन सुनवाई की आवश्यकता से छूट दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई 2014 को आदेश जारी करते हुये लोक सुनवाई की प्रक्रिया संबद्ध अधिनियम के अनुसार पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके आदेशानुसार लोक सुनवाई के दौरान लोगों की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को उचित फैसला लेने का निर्देश दिया गया। तदानुसार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अपने दिनांक 24 सितम्बर, 2014 जारी करते हुये नये रूप से एक पूरे सीजन में बेसलाईन डाटा उत्पन्न करने के अलावा परियोजना प्रस्तावक को क्यू.सी.आई./नैबेट द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा तैयार की गई पर्यावरण अधिप्रवाह आंकलन अध्ययन रिपोर्ट की ड्राफ्ट कापी लोक सुनवाई की कार्यवाही पूरी करने के लिये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को जमा करने की सलाह दी। लोक सुनवाई के उपरांत इसके दौरान उठाये गये मुद्धो एवं इसके मद में होने वाले मूल एवं आवर्ती खर्चो को ई.आई.ए. रिपोर्ट में लिपिबद्ध करते हुये एक अतिरिक्त अध्याय के रूप में प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। अंततः फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को जमा करने की सलाह दी गई। इस संदर्भ में मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स लिमिटेड ने

अपनी इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार के रूप में मेसर्स इन्वायरोटेक इस्ट प्राईवेट लिमिटेड को नियुक्त किया। मेसर्स इन्वायरोटेक इस्ट प्राईवेट लिमिटेड ने प्रस्तावित परियोजना के लिये एक पर्यावरणीय अधिप्रवाह आंकलन अध्ययन किया। कारखाने के विस्तारीकरण प्रस्ताव, जिसकी पर्यावरणीय स्वीकृति वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के दिनांक 5 नवम्बर 2008 एवं संशोधन पत्र दिनांक जुलाई 2009 एवं 1 जून 2011 के माध्यम से प्रदान की गई के पूर्व मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पावर्स लिमिटेड 2X100 टन प्रतिदिन क्षमता के स्पंज ऑयरन प्लांट का संचालन कर रहा था। वे इकाईयॉ जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा प्रदान की गई, इर्स प्रकार है – स्पंज ऑयरन प्लांट (2X100 टन प्रतिदिन), 66000 टन प्रतिवर्ष क्षमता, स्टील मेल्टिंग शॉप – इण्डक्शन फर्नेस (1X6 टन + 1X8 टन + 2X15 टन) (मैचिंग एल.आर.एफ. एवं सी.सी.एम. के साथ), 132000 टन प्रतिवर्ष क्षमता, फेरो एलायज प्लांट (1X5 एम.व्ही.ए. सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस) क्षमता 7500 टन प्रतिवर्ष, साथ ही कैप्टिव पॉवर प्लांट जिसकी कुल क्षमता 25 मेगावाट होगी जिसमें से 8 मेगावाट वेस्ट हीट रिकव्हरी बायलर तकनीक पर आधारित होगा एवं 17 मेगावाट एटमौस्फेरिक फ्लूडाईज्ड बेड कंबश्चन बायलर तकनीक पर आधारित होगी। प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति के उपरांत कंपनी ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया। तत्पश्चात परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा में कंपनी ने कार्य आरंभ किया। इस दौरान 2X100 टन प्रतिदिन क्षमता का स्पंज ऑयरन प्लांट एवं 1X8 टन क्षमता का इण्डक्शन फर्नेस छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से आवश्यक स्वीकृति प्रमाण पत्रों की प्राप्ति के उपरांत स्थापित किया गया। हालांकि इन इकाईयों का वर्तमान में संचालन नहीं किया जा रहा है, चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है। वर्तमान में 2X100 टन प्रतिदिन क्षमता के स्पंज ऑयरन प्लांट का संचालन किया जा रहा है, जिसके लिये आवश्यक स्वीकृति छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से प्राप्त है। इसके अलावा एक 1X6 टन क्षमता के इण्डक्शन फर्नेस की भी स्थापना की गई है, जिसके लिये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से अलग से आवश्यक स्वीकृति ली गई है। वर्तमान में इस इकाई का संचालन नहीं किया जा रहा है। इसके संचालन के लिये आवश्यक पुर्नस्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त एक 30000 टन प्रतिवर्ष क्षमता का रोलिंग मिल, जिसके माध्यम से एम.एस. रॉड/टी.एम.टी. बार का निर्माण किया जा रहा है, सटे हुये जमीन में यूनिट–2 के रूप में संचालित किया जा रहा है, जिसके लिये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से सभी आवश्यक स्वीकृतियां ली गई है। कंपनी की सारी इकाईयॉ जिसमें वर्तमान इकाईयां भी शामिल हैं, कुल 58 एकड़ (23.472 हेक्टेयर) भूमि पर स्थापित की गई है, जो वर्ष 2002–2005 के बीच क्रय कर लिया गया है। इसके लिये किसी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है। एक इस्पात कारखाने की स्थापना हेतु लगने वाली सभी आवश्यक सुविधाये जैसे विद्युत, पानी, कच्चे माल एवं तैयार उत्पादों के आवागमन के लिये सुविधा इत्यादि उपलब्ध हैं। साथ ही, क्षेत्र में कुशल एवं अकुशल कामगार भी आसानी से उपलब्ध है। यूनिट–2 के रूप में रोलिंग मिल का संचालन पास के लगे हुये 4 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स लिमिटेड की परियोजना छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार तहसील के अंतर्गत पूंजीपथरा ग्राम में स्थित है। परियोजना स्थल की भौगोलिक स्थिति $22^0$04'17.42'' उत्तर अक्षांश एवं $82^0$20'56.82'' पूर्व देशांतर है तथा समुद्र तल से इसकी ऊचाई 323 मीटर है। वर्तमान एवं भविष्य में संचालित होने वाली सभी इकाईयों के लिये कुल 37.7 घनमीटर प्रति दिन जल की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति बोरवेल के द्वारा की जायेगी। वर्तमान एवं भविष्य में संचालित होने वाली सभी इकाईयों के लिये कुल 21 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति कैप्टिव पॉवर प्लांट के द्वारा की जायेगी। परियोजना से अपशिष्ट जल का किसी प्रकार का उत्प्रवाह नहीं होगा। इसका उपयोग उचित उपचार के पश्चात कारखाने के भीतर विभिन्न प्रयोजनों के लिये किया जायेगा। घरेलू अपशिष्ट जल का उपचार सेप्टिक टैंक–सोक पिट प्रक्रिया के द्वारा किया जायेगा। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के रूप में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, बैग फिल्टर्स, धूलकण उन्मूलन तंत्र इत्यादी का प्रावधान रखा जायेगा। डोलोचार का उपयोग ए.एफ.बी.सी. ब्वायलर में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाएगा। इंडक्शन फर्नेस से एवं सिलिको मैंगनीज उत्पादन के दौरान उत्पन्न हुए स्लैग तथा केप्टिव पॉवर प्लांट से निकले हुए बॉटम ऐश का उपयोग सड़क निर्माण/निचली जमीन भरने के लिए किया जाएगा। फेरो मैगनीज उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान पैदा हुए स्लैग का उपयोग सिलिको मैगनीज उत्पादन के लिए किया जाएगा। स्क्रैप /मिल का पुनरूपयोग इंडक्शन फर्नेस में किया जाएगा। कैप्टिव पॉवर प्लांट से निकले हुए उड़नशील राख का उपयोग ईंट निर्माण/सीमेंट प्लांट में किया जाएगा। इस परियोजना में 150 अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। परियोजना की कुल लागत 150 करोड़ रूपए होगी। प्रस्तावित परियोजना के लिए एक

पर्यावरणीय अधिप्रवाह आकलन अध्ययन किया गया। अध्ययन के अंतर्गत प्रमुख पर्यावरणीय घटकों जैसे भू उपयोग, मौसम विज्ञान, वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, पारिस्थितिकी, ध्वनि तथा जनसांख्यिकी एवं सामाजिक अर्थिकी के अध्ययन शामिल है। अध्ययन 1 दिसंबर 2014 से 28 फरवरी 2015 तक किया गया। अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक विस्तार परियोजना स्थल के चारो ओर 10 कि.मी. की परिधि के अंदर का क्षेत्र है। संचालन की अवधि में वायु की गुणवत्ता का पूर्वानुमान, पीएम, एसओ 2 तथा एनओएक्स के भूस्तरीय सांद्रण में वृद्धि के लिए यूएसईपीए द्वारा विकसित इंडस्ट्रीयल सोर्स कम्प्लेक्स मॉडल और परियोजना में रिकॉर्ड किये गये मौसम विज्ञानी आंकड़ों का उपयोग करके किया गया है। परियोजना के संचालन की वजह से पीएम, एसओ 2 तथा एनओएक्स के अधिकतम भूस्तरीय सांद्रण औद्योगिक क्षेत्रों के लिए निर्धारित राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानको से कम होने का अनुमान है। परियोजना के लिए जल प्रणाली का विकास करते समय अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग एवं पुनः संचरण का प्रावधान रखा गया है, जिसका उपयोग उचित उपचार के पश्चात् कारखाने के भीतर विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। परियोजना से अपशिष्ट जल का किसी प्रकार का कोई उत्प्रवाह नहीं होगा। कंपनी के द्वारा सभी पर्यावरणीय मानकों एवं शर्तों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते है तो सादर आमंत्रित है। यहा सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी जिसे अंत में पढ़कर सुनाया जायेगा तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी कोई सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 1000 लोगो का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 75 लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

सर्व श्रीमती/श्री –

1. श्रीमती तारिका तरंगीनि लकड़ा, पूंजीपथरा – मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूं की मुझे यहां आपत्ति करने का अवसर दिया। मेरा क्षेत्र स्केनिया कंपनी के प्रभाव में आता है। यह क्षेत्र कंपनी के प्रभाव में आता है हमारे गांव पूंजीपथरा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। यह जो गावं है किसी भी आपत्ति या कंपनी को लगाने के लिए ग्राम सभा का सहमति लेना आवश्यक है। कंपनी ने 20.08.2014 के जिन दस्तावेजो को लगाया है वो फर्जी है। गांव के लोगों ने दस्तखत कर के दिया है कि वे लोग इस ग्राम सभा में उपस्थित नहीं थे। दिनांक 24.04.2017 को ग्रामपंचायत में पर्यावरण संरक्षण मंडल छत्तीसगढ़ की तरफ से पंचायत को लेटर दिया गया था, मुझे लगता है कि इसकी जानकारी संबंधित ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को नहीं है। मैं इस पत्र को यहां पढ़ना चाहती हूँ प्रति सरपंच सचिव कार्यालय ग्राम पंचायत सामारूमा, तुमीडीह, अमलीडीह, तराईमाल, छर्राटांगर, आमाघाट तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़, विषय भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) के द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् स्पंज आयरन प्लांट 66000 टी.पी.ए. इण्डक्शन फर्नेश विथ सी.सी.एम. फार विलेट कास्टर 135000 टी.पी.ए. फेरो एलायज प्लांट 7500 टी.पी.ए., ए.एफ.बी.सी. पॉवर प्लांट–17 मेगावाट एवं डब्ल्यू.एच.आर.बी. पॉवर प्लांट–8 मेगावाट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत्। संदर्भ–(1) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1246 दिनांक 06.02.2017 (2) इस कार्यालय का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 1393 दिनांक 08.03.2017

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पावर लिमिटेड द्वारा ग्राम पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) के द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् स्पंज आयरन प्लांट 66000 टी.पी.ए. इण्डक्शन फर्नेश विथ सी.सी.एम. फार विलेट कास्टर 135000 टी.पी.ए. फेरो एलायज प्लांट 7500 टी.पी.ए., ए.एफ.बी.सी. पॉवर प्लांट–17 मेगावाट एवं डब्ल्यू.एच.आर.बी. पॉवर प्लांट–8 मेगावाट स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत्। सर्व संबंधितों को सूचना की प्रति संलग्न है। कृपया उक्त सूचना का नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने का कष्ट करें। क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़। विषय – मेसर्स स्केनिया एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) के द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् स्पंज आयरन प्लांट 66000 टी.पी.ए. इण्डक्शन फर्नेश विथ सी.सी.एम. फार विलेट कास्टर 135000 टी.पी.ए. फेरो एलायज प्लांट 7500 टी.पी.ए., ए.एफ.बी.सी. पॉवर प्लांट–17 मेगावाट एवं डब्ल्यू.एच.आर.बी. पॉवर प्लांट–8 मेगावाट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत् सर्व संबंधितों को सूचना भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के तहत् सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पावर लिमिटेड ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) क्षमता विस्तार के तहत् स्पंज आयरन प्लांट 66000 टी.पी.ए. इण्डक्शन फर्नेश विथ सी.सी.एम. फार विलेट कास्टर 135000 टी.पी.ए. फेरो एलायज प्लांट 7500 टी.पी.ए., ए.एफ.बी.सी. पॉवर प्लांट–17 मेगावाट एवं डब्ल्यू.एच.आर.बी. पॉवर प्लांट–8 मेगावाट के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत् छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदन किया गया है। उक्त परियोजना के संबंध में आपत्ति, सुझाव, विचार, टीका, टिप्पणी इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, टी.व्ही. टावर रोड, रायगढ़ के कार्यालय में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकती है। इस परियोजना के लिए लोक सुनवाई दिनांक 10.03.2017 को प्रातः 10:30 स्थान बंजारी मंदिर के समीप का मैदान में निर्धारित की गई है। जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाकर आगामी तिथि 25.05.2017 प्रातः 10:30 स्थान बंजारी मंदिर के समीप का स्थल, तहसील तमनार जिला–रायगढ़ (छ.ग.) नियत की गई है। ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर 2006 के अनुसार संबंधित व्यक्तियों के अवलोकन पाठन हेतु ड्राफ्ट इ.आई.ए. रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा में तथा इसका अनुवाद हिन्दी भाषा में तथा इसका संक्षिप्त सार रिपोर्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में तथा इसकी सी.डी. सॉफ्ट कॉपी कार्यालय कलेक्टर रायगढ़, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, रायगढ़ कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तमनार एवं जनपद पंचायत घरघोड़ा क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, टी.व्ही. टावर रोड, रायगढ़ सचिव, सरपंच कार्यालय ग्राम पंचायत तुमीडीह, अमलीडीह, सामारूमा, तराईमाल, छर्राटांगर, आमाघाट, तहसील–तमनार रायगढ़ जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, डब्ल्यू सी.जे. ग्राउंड फ्लोर ईस्टविंग नया सचिवालय भवन सिविल लाइन, नागपुर (महाराष्ट्र), मुख्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नया रायपुर में पूर्ववत रखी गई है। इसमें जिस तरह से जानकारी हिन्दी अंग्रेजी में ग्राम पंचायत में जिस तरह से दी गई है। हमारे गांव में लोग अंगूठा ठेठ हैं वे कुछ भी पढ़ने लिखने की स्थिति में नहीं है। जो लोग आपकी इतनी मोटी मोटी किताबों को अंग्रेजी एवं हिन्दी में कैसे पढ़ सकते हैं। पर्यावरण का माप जो आपने दिखाया है इसके लिये ग्रामसभा करनी थी। ग्रामसभा में लोगो को यह बताना था की कंपनी के आने से क्या फायदा है क्या नुकसान है। जो की गांव के किसी भी लोगो को मालुम नहीं है दूसरी बात पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरण के संरक्षण के लिये बनाया है इसमें पर्यावरण संरक्षण मण्डल प्रदूषण के लिये मंजूरी मांग रहे है कि हम आपके हवा में जहर घोल रहे और कंपनी को फायदा पहुचा रहे है। जिन 150 लोगो को रोजगार की बात कर रहे है, जिन लोगो के लिये प्रदूषण फैला रहे है उन लोगो के रोजगार की बात नहीं कर रहे है। जो प्रभावित ग्रामपंचायत है उनके लिये रोजगार की बात होनी चाहिये थी। कंपनी ने बताया है कि कंपनी से किसी भी तरह का जल प्रदूषण नहीं होगा। कंपनी से हमारे गांव का तालाब फ्लाई ऐश से पुरी तरह से सुख चूका है। इसमें पानी बिलकुल भी नहीं है। तुमीडीह डेम ही 10–12 फीट फ्लाई ऐश से भर चुका है। फ्लाई ऐश से जो दलदल बन गया है इसमें कई जानवर फंस के मर चूके है। मेरे गांव में 35 इण्डस्ट्री स्थापित हो चूकी है इन 35 इण्डस्ट्री का प्रदूषण केवल एक गांव झेल रहा है, मेरे गांव के कई लोगो की मौत टी.वी से

हो चूकी है, कई अभी भी पिड़ीत है, एक अभी अस्पताल में भर्ती है। कंपनी यदि कहती है कि इससे जल प्रदूषण नहीं होता तो यह गलत कर रही है। अच्छा होता की यह जन सुनवाई कलेक्टर महोदया की उपस्थिति में होती। आज वो उपस्थित नहीं है। आप हमसे हमारी जमीन मांग रह है आप हमसे सॉसे छिनने की बात कर रहे है। फण्डामेंटल राईट आप हमसे छिन रहे है। सभी को स्वच्छ वायु में जीने का हक है, स्वस्थ्य रहने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, जो आप इन कंपनियों के विस्तार से छिन रहे है। इसके संबंध में गांव के लोगो ने हस्ताक्षर करके पत्र दिया है। प्रति क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जिला–रायगढ़, विषय–मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ के द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् दिनांक 25.05.2017 को लोकसुनवाई पर आपत्ति दर्ज कराने बाबत्। संदर्भ–(1) आपका पत्र क्रमांक 141, क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, 2017, दिनांक 22.04.2017 (2) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244ए, अनुसूची पॉच के संदर्भ में। महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) क्षमता विस्तार के तहत् स्पंज आयरन प्लांट 66000 टी.पी.ए. इण्डक्शन फर्नेश विथ सी.सी.एम. फार विलेट कास्टर 135000 टी.पी.ए. फेरो एलायज प्लांट 7500 टी.पी.ए., ए.एफ.बी.सी. पॉवर प्लांट–17 मेगावाट एवं डब्ल्यू.एच.आर.बी. पॉवर प्लांट–8 मेगावाट की स्थापना के लिये लोकसुनवाई बाबत् आवेदन किया गया है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244ए, अनुसूची पॉच के विरूद्ध है जिसके संबंध में दिनांक 19.04.2017 को ग्राम–पूंजीपथरा के ग्रामवासीयों ने यह प्रस्ताव किया है कि ग्राम–पूंजीपथरा में स्केनिया के विस्तार हेतु कोई लोक सुनवाई या जनसुनवाई नहीं की जाये कंपनी के द्वारा की गई धोखाधड़ी के लिये कंपनी को बंद किया जाये, दिनांक 06.03.2017 समस्त ग्रामवासीयों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को उपरोक्त विषय पर ज्ञापन दिया है कि ग्रामसभा में वर्ष 2003–04 से अब तक ग्राम–पूंजीपथरा में कई उद्योगों की स्थापना हुई है। वर्तमान में 35 उद्योग संचालित है, जिसके कारण ग्राम–पूंजीपथरा जिले का सबसे प्रदूषित क्षेत्र है स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर लिमिटेड के विस्तार एवं पॉवर प्लांट के मेगावाट के प्रदूषण का यहा के पर्यावरण एवं जल पर असर पड़ेगा जिससे मानव जीवन को खतरा है। दिनांक 09.03.2017 को स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर लिमिटेड के विस्तार से प्रभावित होने वाले ग्रामपंचायतो द्वारा जिला कलेक्टर रायगढ़ एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी घरघोड़ा को पत्र दिया गया था। जिसमें स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर लिमिटेड कंपनी के विस्तार एवं पर्यावरण प्रदूषण करने की सहमति दिये जाने की लोकसुनवाई कराने से पहले सभी पंचायतों में विडीयों रिकार्डिंग करते हुये ग्रामसभा की मांग की गई है, जो की अभी तक नहीं कराई गई है। दिनांक 25.05.2017 की लोकसुनवाई कराने के लिये दिनांक 20.08.2014 पूंजीपथरा ग्रामसभा के जिन दस्तावेजों का उपयोग किया गया है वे फर्जी है। हमारे ग्राम में ऐसी कोई सभा नहीं की गई है। 17 लोगो की उपस्थिति में ग्रामसभा की कोरम की पूर्ति किये बगैर प्रस्ताव पारित किया गया यह असंवैधानिक कृत्य है तथा पेसा कानून की धारा 4 के तहत् अवैध है पूर्व में स्केनिया स्टील सिद्धीविनायक के नाम से जाना जाता था उस समय कंपनी ने जो शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार के जो वायदे किये थे उन्हे नहीं किया है यदि कंपनी इन वायदो को पूरा करती तो गांव की स्थिति में सुधार होता। पर्यावरण प्रदूषण से गंभीर बिमारियां नहीं होती जल एवं जंगल अच्छे होते लोगो का स्वास्थ्य ठीक होता। गांव की लोगो की हृद्य विदारक जीवन शैली आज भी प्रमाणित है। आप देख सकते है इसका मुल्यांकन कर सकते है इस आपत्ति पत्र के साथ में आपत्ति पत्र दिनांक 09.05.2017 को आपके कार्यालय में दिया गया है जिसके साथ में ग्रामवासियों के जीवन शैली के प्रमाण के तौर पर एक सी.डी. भी आपको तैयार करके दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के किसी भी विभाग ग्राम–पूंजीपथरा पॉचवी अनुसूची क्षेत्र राष्ट्रपति महोदय द्वारा घोषित है। जहा भारत सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार के किसी भी विभाग का ग्रामसभा की सहमति के बगैर हस्तक्षेप असंवैधानिक है। अतः आपको ग्राम–पूंजीपथरा द्वारा सूचित भी करते है किसी भी प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के लिये असंवैधानिक इंतजाम ग्राम–पूंजीपथरा में न करे। संबंधित पंचायतो को भी हमने सूचना दी थी कि ग्राम–पूंजीपथरा में किसी भी कंपनी के विस्तार की आवश्यकता नहीं है। जिन ग्रामों को कंपनी विस्तार की आवश्यकता है अपने गांव में कंपनी का विस्तार करा सकते है। इसमें हमे कोई आपत्ति नहीं है। दिनांक 25.05.2017 को पूंजीपथरा में स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर लिमिटेड मंदिर प्रांगण में कराई लोक सुनवाई असंवैधानिक है। दिनांक 10.03.2017 को यह

लोकसुनवाई होने वाली थी जिसे स्थगित कर दिया गया था। दिनांक 08.03.2017 को रायगढ़ के अखबारो में प्रकाशित किया गया था कि पुलिस बल की कमी के कारण 10.03.2017 की जनसुनवाई स्थगित की गई है, और यह जनसुनवाई 25.05.2017 को की जायेगी। पुलिस सुरक्षा बल की मांग किसी भी ग्रामसभा ने नहीं की है। गांव में कंपनियों की सहमति दिलाने के लिये हर लोकसुनवाई में कंपनी मालिक शासन प्रशासन का असंवैधानिक तरीके से उपयोग करते है। पुलिस का भय दिलाकर विरोध करने नहीं दिया जाता है। कंपनी के मालिक दूसरे गांव के निवासियों को पूंजीपथरा का निवासी बताकर सहमति लेते है इसलिये इस लोकसुनवाई के विरोध में हम पूंजीपथरा ग्रामवासी अपनी आपत्ति दर्ज करते है, तथा संबंधित ग्रामपंचायतों को भी सूचना इस पत्र के माध्यम से दे रहे है, इसके साथ में हमने संलग्न साथ में दिया है। दिनांक 19. 04.2017 की ग्रामसभा की पंजी एक प्रति पृ. क्रमांक 15–18 तक, दूसरा दिनांक 19.04.2017 को ग्रामसभा में ग्रामवासियों की ओर से दिया गया पत्र की छायाप्रति, तीसरा दिनांक 06.03.2017 को जिला रायगढ़ के माध्यम से राष्ट्रपति को दिया गया पत्र की छायाप्रति दिनांक 09.03.2017 को जिला रायगढ़ एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, घरघोड़ा को दिये गये पत्र की छायाप्रति, दिनांक 20.08.2014 की पूंजीपथरा ग्राम सभा के फर्जी दस्तावेज की पृष्ठ छायाप्रति। इस जनसुनवाई, हम पूंजीपथरा निवासी की स्थिति जो आज है, गांव में टूटे–फूटे मकान, गांव में सी.एस.आर. राशि भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। और हमें यह बताया जा रहा है कि गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के बगल में एक हैण्डपम्प कंपनी ने खुदवाया है, जिसमें पानी नहीं है, बिना पानी के हैण्डपम्प की क्या आवश्यकता है। इसी तरह जल स्तर पूरे गांव का नीचे जा चुका है। पूरे गांव में सभी हैण्डपम्प एक को छोड़कर बाकी सारे हैण्डपम्प किसी में भी पानी नहीं है। कुएं, नल, कुओं में भी पानी खत्म हो गया कुएं बंद कर दिये गये। हमें यह भी बताया गया है कि कंपनी ने सी.एस. आर. कि राशि से बोर में एक पम्प डलवाया है। वो पम्प भी दो चार दिन के बाद कहां गया हमें मालूम नहीं, जिसमें मोटर, वो कभी चला ही नहीं किसी नू चलते हुए नहीं देखा, वो गायब हो गया, कहां गया, कौन ले गया उसके अलावा 35 कंपनियां पूंजीपथरा में स्थित है। आज तक किसी कंपनी ने गावं के विकास में कुछ भी नहीं किया है। अगर 35 कंपनियां साल में महिने में अपनी कमाई से 5 हजार 10 हजार भी देती तो गांव की स्थिति जो आज है। लोग मर रहे हैं बीमार हो रहे हैं, टूटे–फूटे मकान हैं, बेरोजगार पड़े हुए हैं। ये स्थिति ग्रामवासियों की नहीं होती। वो भी अनुसुचित जनजाति क्षेत्र में शेड्युल 5 क्षेत्र में ये स्थिति है। ये सारी बातें, हम लगातार इसका विरोध करते जा रहे हैं। फिर भी यह जनसुनवाई रखी जा रही है। हमारी आप से मांग है, कि पहले कंपनियों की स्थापना के वक्त जो गांव वालों से वायदे किये हैं, उनको पहले पूरा करें। उसके बाद स्केनिया और किसी भी कंपनी की जनसुनवाई उसके बाद तय की जाए। इसके पहले आप, कृपया करके मेरा यह निवेदन है आप से लोगो के फंडामेंटल राईट्स पर हमला ना करे, धन्यवाद।

2. वाई. सुनंदा रेडडी, तेलंगाना, नंगोड़ा, हैदराबाद, इंवायरमेंटलिस्ट – Management of Scania Steel and Power Limited, generally enrollment

1. Our Consultant have already conducted baseline survey of air, water, land and noise it is very good. My request is please collect the data of the health status of the people, crop, Production status and ground water availability status within 10 Kms radius. It is very useful in furture and utilize as a parameter to take precautinory affective measures to maintain ecological balance.
2. My request and suggestions to you to take up proposed industry 58 acres of land, whatever you draw water approximately 33 crore Liters for annum. But the water is not sufficiently available throught the year it is a limited source. The excess water is available in rain season only. My suggestion is please make special efforts to collect raine water to store construct storage tanks for storage rainy warter. It is very usefull to usefull to use the rainy water in non rainy days to your industry. It is very benficial to maintain ecological balance.
3. You have planed takeup plantation 33% Land is very good. My Suggestion is to takeup plantation 40-50% is very essential to control pressure on ecological Balance because Indian population is increasing 10 crores for every 10 years. It is very preserised on natural resources.

4. Please take up village on which internal roads your vehicles transporting the materials to control dust pollution. My request is you should give priority to pklant fruit bearing plants and medicinal value plants instead of normal plants. It is very beneficial to control dust pollution and also available fruits in nearby villages.
5. Please give top priority to the local educate unemployed youth to give employment in your industry.
6. My humble request is to promote skill development training to unemployed youth to get better skills and to get employment chances in your industry remaining youth to get other places jobs. Countries like Japan and Korea youth 96 percent got skill development trainings. But in India 5 to 6 percent youth have skilled persons.
7. My request is to form a Co-ordination committies with villagers and yout company officials. Govt. Officials and PCB officials to take up demand oriented work. Please discourage target oriented works with this activity a great crediability comes to you.
8. Please take up proper pollution control measures Air, Water, Land it is very essential maintain ecological balance.

Once again my best wishes and supporting to your industrial development at the same time please maintain the Ecological balance and envitonmental safety.

I am Congratulating your environment consultancy which has prepared detailed EIA report to your Project is very good and satisfactory.

Finally I am requesting to public hearing panel committi to recommend to MOEF to give unconditional permission to M/s scania Steel and Power Ltd. (Expansion of Steel Plant & Installation of Captive Power Plant) at villages : Punjipatra, Teshil : Tamnar, District : Raigarh, Chhattisgarh State.

3. गुलामा राम चौहान, सामारूमा – स्केनिया जब पूंजीपथरा का क्षेत्र में किसी प्रकार का प्लांट नहीं लगा था यहा जो क्षेत्र में आमाघाट, पूंजीपथरा, सामारूमा, पड़कीपहरी और छर्राटांगर इन गावों में लोगो को दो वक्त की रोटी जुगाड़ कर पाना बहुत मुश्किल था। मैं लगभग 10 साल का था हमारे माता–पिता महुआ को पका कर के हमको खिलाते थे जब से ये उद्योग आया तब हमारा जीवन में बदलाव भी आया हमारे घर, परिवार आज के स्थिति में हम लोग सक्षम टाईप के हो गये है उद्योग के बदौलत क्योंकि उद्योग में हमे काम मिला और उद्योग से जो आय का श्रोत बढ़ा हम लोग को आज पूंजीपथरा या छर्राटांगर, अमलीडीह या कोई भी गांव ऐसा जिनके घर में दोपहिया–चारपहिया या डंफर नहीं है। आज से जब उद्योग नहीं लगा था तक किसी के घर में सायकिल भी एक होना बहुत मुश्किल था और आज उद्योग के आने से हम लोगो के जीवन में बदलाव आया और हमारे बच्चो को हम अच्छे स्कूल में भी पड़ा रहे है और मै स्केनिया स्टील पॉवर का समर्थन करता हूँ।
4. मोहन यादव, समारूमा – मैं समर्थन करता हूँ।
5. श्यामु, समारूमा – मैं समर्थन करता हूँ।
6. शिवा राम, समारूमा – जैसा की गुलामा राम भैया ने कहा कि स्केनिया एवं सारे कंपनी के आने से जो गांव में विकास हुआ ये सब सही है। इससे पहले जो भी गांव में पिछड़े हुये एवं जितने भी गरीब आदमी थे काफी हद तक पीछे थे कंपनी के आने से काफी हद तक गांव विकसित हुये है और बहुत कुछ हुआ है। मैं स्केनिया का समर्थन करता हूँ।
7. सोनसाय, समारूमा – मैं समर्थन करता हूँ।
8. रामदयाल पटेल, समारूमा, – मैं समर्थन करता हूँ।
   रतिराम यादव, सामारूमा – मैं समर्थन करता हूँ।
   प्रेमसागर, तराईमाल – मैं समर्थन करता हूँ।
9. राकेश – मैं समर्थन करता हूँ।
10. विकास कुमार, समारूमा – मैं समर्थन करता हूँ।
11. योगेश यादव, – मैं समर्थन करता हूँ।
12. राकेश कुमार यादव, समारूमा – मैं समर्थन करता हूँ।
13. विनोद, तराईमाल – मैं समर्थन करता हूँ।

मनीष यादव, सामारूमा – मैं समर्थन करता हूँ।

14. दिनेश कुमार यादव, सामारूमा – मैं समर्थन करता हूँ।
15. कन्हैयालाल यादव, समारूमा – मैं समर्थन करता हूँ।
16. ईश्वर लाल यादव, समारूमा – मैं समर्थन करता हूँ।
17. मोहन लाल सिदार, समारूमा – मैं समर्थन करता हूँ।
18. अर्जुन चौहान, सामारूमा – मैं समर्थन करता हूँ।
19. राजेश यादव, सामारूमा – मैं समर्थन करता हूँ।
20. विनोद, समारूमा – मैं समर्थन करता हूँ।
21. राजेन्द्र, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
22. रोशन कुमार यादव, सामारूमा – मैं समर्थन करता हूँ।
23. शंकर कुमार यादव, समारूमा – मैं समर्थन करता हूँ।
24. नारद प्रसाद, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
25. संजय, समारूमा – मैं समर्थन करता हूँ।
26. गुलाबराम चौहान, सामारूमा – मैं समर्थन करता हूँ।
27. देवीलाल यादव,– मैं समर्थन करता हूँ।
    गणेश राम राठिया, – मैं समर्थन करता हूँ।
28. महावीर प्रसाद यादव, समारूमा – मैं समर्थन करता हूँ।
29. एच. मधुवाबु, हैदराबाद – ये जनसुनवाई के बारे में मैं एक सूचना देने आया हूॅ। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। पानी के लिये वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, लोकल वालो को रोजगार देना चाहिए गांव वाले जो चाहते है देने कां।
30. ज्योति सिदार, पडकीपहरी – मैं समर्थन करता हूँ।
31. कमला, पडकीपहरी – मैं समर्थन करता हूँ।
32. चन्द्रकुवंर, समारूमा – मैं समर्थन करता हूँ।
33. गणशी, पडकीपहरी – मैं समर्थन करता हूँ।
34. सुमित्रा, पडकीपहरी – मैं समर्थन करता हूँ।
35. इंन्द्रपति, समारूमा – पडकीपहरी – मैं समर्थन करता हूँ।
36. सुरेखा, समारूमा – पडकीपहरी – मैं समर्थन करता हूँ।
37. कमलाबाई, समारूमा – मैं समर्थन करता हूँ।
38. भगवती, समारूमा – मैं समर्थन करता हूँ।
39. गेलमति यादव, समारूमा – मैं समर्थन करती हूँ।
40. कुंति, समरारूमा – मैं समर्थन करती हूँ।
41. घनमति, समारूमा – मैं समर्थन करती हूँ।
42. लक्ष्मी सिदार, समरूमा – मैं समर्थन करती हूँ।
43. रंजन यादव, – मैं समर्थन करती हूँ।
44. हेमलाल, समारूमा – मैं समर्थन करती हूँ।
45. मयंक, तराईमाल – मैं समर्थन करती हूँ।
46. मंनेन्द्र, तराईमाल – मैं समर्थन करती हूँ।
47. खिरसागर मालाकार, तराईमाल – कंपनी की जनसुनवाई एक धार्मिक जगह पर बंजारी मंदिर में हो रही है। बंजारी मंदिर एक धार्मिक जगह है हमारे पूर्वजो ने श्री अंकुर गोटिया मालाकार जी एवं उनके भाई श्री नत्थुराम मालाकार जी ने 3–3 एकड़ जमीन दान में देकर एक धर्म का कार्य शुरू किया था मैं उनका अभिवादन करता हूॅ। अंकुर गोटिया जी मंच पर आसीन है उनको प्रणाम, एक अकेले आदमी अंकुर गोटिया ने 20 साल अपना जीवन दान में दिया इस मंदिर को। एक अकेले आदमी ने इतना बड़ा भव्य आयोजन किया एक दिन मेसर्स स्केनिया स्टील वाले आये और बोले कि यहा जनसुनवाई रखनी है क्या लेना है क्या नही चाहिए, जनसुनवाई में 2000–3000 आदमी आयेंगे और हमारे मंदिर की भव्यता को देख कर जायेंगे

इसी से हमारा श्रम फलिभूत हो जायेगा इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। सभी प्रशासन के व्यक्ति अपने कार्य को निर्वहन करें, कंपनी का अर्थ यह नहीं कि धन ही अर्जित करना है। कंपनी का अर्थ व्यक्ति का विकास और उस क्षेत्र का विकास से है। उद्योग समाज के विकास से ही चल सकती है। क्षमता विस्तार का समर्थन या विरोध सिर्फ एक दिखावा है जन सुनवाई में जितना खर्चा है उसे गांव वाले के ऊपर करें। ई. एस.पी. व बैगफिल्टर को सही तरीके से चेंज करे तो प्रदूषण नहीं होगा। इस बात को फैक्ट्री वाले ध्यान में रखे तो समर्थन या विरोध नहीं होगा। हम लोग समर्थन करेंगे। क्षमता विस्तार का समर्थन करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन करता हू।

48. संतकुवंर, – मैं समर्थन करती हूँ।
49. रूकमणी, सराईपाली – मैं समर्थन करती हूँ।
50. चम्पा, सराईपाली – मैं समर्थन करती हूँ।
51. हेममति, बकबुड़ा – मैं समर्थन करती हूँ।
52. संतोषी, बकबुड़ा, – मैं समर्थन करती हूँ।
53. सुसीला, बकबुड़ा, – मैं समर्थन करती हूँ।
54. क्रांति, बकबुड़ा – मैं समर्थन करती हूँ।
55. राजकुमार, घरघोड़ा – मैं समर्थन करती हूँ।
56. सुशमा, घरघोड़ा – मैं समर्थन करती हूँ।
57. रामलाल, तराईमाल – कंपनी में नवजवान भाई जो पढ़े है उन्हे रोजगार दे, मैं समर्थन करता हूँ।
58. मोंगरा, समारूमा – काम करके कमाती हूँ। मैं समर्थन करती हूँ।
59. यादवाई, समारूमा – मैं समर्थन करती हूँ।
60. कुसुम, समास्मा – मैं समर्थन करती हूँ।
61. मेहमति, समारूमा – मैं समर्थन करती हूँ।
62. मलकिन, समारूमा – मैं समर्थन करती हूँ।
63. हेमंति, समारूमा – मैं समर्थन करती हूँ।
64. पार्वति, – मैं समर्थन करती हूँ।
65. कुंतिवाई – मैं समर्थन करती हूँ।
66. मेनका लकड़ा, तराईमाल – मैं समर्थन करती हूँ।
67. कुंतिवाई, तराईमाल – मैं समर्थन करती हूँ।
68. जयंति, तराईमाल – मैं समर्थन करती हूँ।
69. समता, तराईमाल – मैं समर्थन करती हूँ।
70. कमला, सक्ती – मैं समर्थन करती हूँ।
71. पुष्पा, तराईमाल – मैं समर्थन करती हूँ।
72. कलावति, तराईमाल – मैं समर्थन करती हूँ।
73. मंगलाई, – मैं समर्थन करती हूँ।
74. राजवति, – मैं समर्थन करती हूँ।
75. विद्या मिंज, – मैं समर्थन करती हूँ।
76. बुधनी, – मैं समर्थन करती हूँ।
77. उशा – मैं समर्थन करती हूँ।
78. केकती, तराईमाल – मैं समर्थन करती हूँ।
79. सुशमा, तराईमाल – मैं समर्थन करती हूँ।
80. बईतो, तराईमाल – मैं समर्थन करती हूँ।
81. सविता तराईमाल – मैं समर्थन करती हूँ।
82. इंद्रवति, तराईमाल – मैं समर्थन करती हूँ।
83. ज्योति, तराईमाल – मैं समर्थन करती हूँ।
84. मीना, तराईमाल – मैं समर्थन करती हूँ।

85. रविना तराईमाल – मैं समर्थन करती हूँ।
86. निराली, तराईमाल – मैं समर्थन करती हूँ।
87. स्वेता, तराईमाल – मैं समर्थन करती हूँ।
88. गीता , पुंजीपथरा,– मैं समर्थन करती हूँ।
89. राधिका, पुंजीपथरा,– मैं समर्थन करती हूँ।
90. कांति, पुंजीपथरा,– मैं समर्थन करती हूँ।
91. सुकांति, समारूमा – पुंजीपथरा,– मैं समर्थन करती हूँ।
92. शाशि, समारूमा – पुंजीपथरा,– मैं समर्थन करती हूँ।
93. शांति लकड़ा – पुंजीपथरा,– मैं समर्थन करती हूँ।
94. केकती, पुंजीपथरा,– मैं समर्थन करती हूँ।
95. रमा, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
96. सुमित्रा, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
97. धनमति, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
98. कमला, समारूमा – पुंजीपथरा, मैं समर्थन करती हूँ।
99. बबीता – समारूता पुंजीपथरा, मैं समर्थन करती हूँ।
100. रीता, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
101. सेवाबाई, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
102. चंदा राठिया, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
103. वृन्दावति, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
104. हेमकुमार, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
105. पुजा, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
106. अंजु, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
107. तारा, समारूमा, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
108. चकरूमति, समारूमा, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
109. संतोषी, समारूमा पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
110. रामबाई, समारूमा पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
111. सविता यादव, समारूमा – पुंजीपथरा, मैं समर्थन करती हूँ।
112. तारा देवी, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
113. विनिता, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
114. पुनीमति,समारूमा पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
115. मधुमति, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
116. कुमारी बाई, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
117. रसिका, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
118. सुनीता, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
119. विनीता , पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
120. चिंता, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
121. चम्पावति, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
122. प्रेमशिला, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
123. रूकमणी, जांजगीर – मैं समर्थन करती हूँ।
124. विमला, तराईमाल – पुंजीपथरा, मैं समर्थन करती हूँ।
125. सीता सिदार, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
126. आनंदी, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
127. मांगमति, कुनकुरी, – मैं समर्थन करती हूँ।
128. गनपति, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।

129. कौश्ल्या, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
130. रानी, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
131. माधुरी, पण्डरीपानी, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
132. भारती, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
133. अपुर्वा बाई, पण्डरीपानी, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
134. कलाबाई, पण्डरीपानी, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
135. दुलारी, पड़कीपहरी, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
136. रजनी, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
137. हेलेना, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
138. सलमा, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
139. जानकी, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
140. जंयतीबाई, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
141. मीना, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
142. साव़ित्री, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
143. देवी, पुंजीपथरा, – मैं समर्थन करती हूँ।
144. अस्मिती नायक, पत्थलगांव, – मैं समर्थन करती हूँ।
145. सीमा, सहसपुर, – मैं समर्थन करती हूँ।
146. राजेश त्रिपाठी, जन चेतना मंच, रायगढ़ – सम्मानीय मंच और आज के पीठासीन महोदया और यहा समस्त विभाग के विभाग प्रमुख कंपनी के लोग ई.आई.ए. बनाने वाले सभी सहयोगी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। सम्मानीय पैनल केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना 14.09.2006 के अनुसार किसी भी कंपनी के आवेदन के 45 दिवस के अंदर सुनवाई किया जाना चाहिये। अगर किन्ही परिस्थितियों में प्रशासन या कंपनी जनसुनवाई करवाने में असफल होता है तो केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय का एक समिति का गठन करेगा और समिति जनसुनवाई का आयोजन करवायेगी। ऐसा 14.09. 2006 की अधिसूचना के प्रावधान है और इस कंपनी की जनसुनवाई में एक समस्या तो और है कि इस कंपनी का जो विस्तार की प्रक्रिया है जो 2010–11–12 में विगत हो चूकी है और इसके लिये किसी भी प्रकार की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी आज किलन नंबर 1, 2, 3, 4 सब लगे हुये और बकायदे एज द डाक्यूमेंट सहित उनका उत्पादन भी चालू है तो फिर किस बात की जनसुनवाई, दूसरी बात यह है की मैं कहना चाहता हूँ कि जब पिछली बार इस कंपनी ने जब अपना विस्तार किया था इस कंपनी के विरूद्ध मैं स्वयं एन.जी.टी. (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) में शिकायत दर्ज की थी और हमारे तथ्यों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मानते हुये पूरी प्रक्रिया को खारिज किया और हमारे पक्ष में वो निर्णय आया। इसके बाद कंपनी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और उन्होने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये राज्य सरकार के परमिशन से सहमति से मैने उद्योग लगाया। हमारे ऊपर कई कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में तथ्यात्मक आरोप भी रखे और उन सब तथ्यों का आरोप का खारिज करते हुये सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पूरी दलीलो को खारिज करते हुये निर्देश दिया केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को 4 महिने के अंदर जनसुनवाई आयोजित करके लिफाफा बंद दस्तावेज प्रस्तुत किया जाये। ये जो आदेश हुआ है ये आदेश की कापी, ये आदेश हुआ है कि 16.05.2014 को, परन्तु अच्छी बात यह है कि जब मैं ई.आई.ए. का अध्ययन कर रहा था, ई.आई.ए. बनाने वाली जो एजेंसी बैठी हुई है ये ई.आई.ए. बन गई 2014 में जितने पूरे आंकड़े है वो सब 2014 के है और जनसुनवाई हो रही है 2017 में, क्या विगत 4 सालो में रायगढ़ जिले के आंकड़े चेंज नहीं हुये, मैं एजेंसी जो बनाने वाली कंपनी है उनकी बात कर रहा हूँ, ई.आई.ए., स्केनिया स्टील को मैं बता सकता हूँ कि जो ई.आई.ए. बनाई गई है ये कट–इन–पेस्ट है। अगर यह कह दूं कि ये 100 परसेंट ई.आई.ए. फ्राड है ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ई.आई.ए. बनाने वाली एजेंसी, हमारे पास जितने दस्तावेज है सारे ई.आई.ए. को बता दे रहा हूँ कि ई.आई.ए. बनाने वाले एजेंसी को इतने दस्तावेज इस क्षेत्र के 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर ये हाथियों का आंकड़ा है जिसमें वन विभाग ने कितना मुआवजा दिया है परन्तु आपके ई.आई.ए. के अंदर कही कोई हाथी भी नहीं है और मैडम उसमें देखीये, जो

मैने अध्ययन किया है, कंपनी ने कम से कम ई.आई.ए. बनाने वाली एजेंसी ने 10–15 लाख रूपये इस ई. आई.ए. को बनाने का लिया होगा। इसमें इनके ई.आई.ए. के अंदर 10 किलोमीटर के अंदर कोई हाथी नहीं है परन्तु स्केनिया स्टील के 300 मीटर के अंदर हाथी संरक्षण का बोर्ड लगा हुआ है और वहा से 1.5 किलोमीटर के अंदर 2 हाथियों के टावर बने हुये है। वन विभाग 4 लाख 54 हजार रूपये में हाथी वाच टॉवर बनाया हुआ है और आपकी ई.आई.ए. रिपोर्ट में नहीं है, तो यह अध्ययन है कि है क्या? मैं कंपनी के विरोध या पक्ष वाली बात नहीं करना चाहता मै ये कहता हूँ कि जो इस देश के अंदर पर्यावरण के मापदण्ड निर्धारित किये हुये है उनके पालन के प्रक्रिया की बात मैं करता हूँ साहब। आप अगर ई.एस.पी. नहीं चलोयेंगे तो 400 रूपये आपका बिजली बिल कम हो जायेगा प्रति टन और कंपनी को 400 रूपये का लाभ हो जायेगा और रायगढ़ जिले के 4.5 लाख लोगो के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करोगे, ये जरूर बरदास्त नहीं होगा तो चलो आपने ये अध्ययन किया है इसलिये ई.आई.ए. को देखियेगा सर मैने साथ में दस्तावेज में फोटो लगाई है ये मैने नहीं वन विभाग ने बकायदे वहा सीमेंटेड एक बोर्ड बनाके हाथी संरक्षित क्षेत्र सामारूमा और हाथी संरक्षित जो क्षेत्र है पड़कीपहरी दोनो में ये बोर्ड लगे हुये है जो कि ई.आई.ए. के अंदर के अनुसार किसी भी जनसुनवाई 45 दिन के अन्दर करना चाहिए। इस कंपनी का विस्तार 2012 मे हो चुकी है। इसके लिये कोई परमिशन नहीं लिया गया है यहा 4 किलन लगी हुई है। हमारे लिये कई कम्पनीयो ने आरोप लगया और आरोप दर्ज कराई। 4 महिने के अन्दर जनसुनवाई आयोजित कर लिफाफे में बंद कर दिया गया। ई.आई. ए. रिपोर्ट 2014 में बन गई जबकि जनसुनवाई 2017 में हो रही है विगत् 4 सालो में रायगढ़ के आंकड़े नहीं बदले। यह ई.आई.ए.रिपोर्ट, फाल्ट है। ई.आई.ए. बनाने वाली एजेंसी को यह भी नहीं पता कि यहां कितने हाथी कारीडोर है। ई.आई.ए. बनाने वाले ने 10 लाख सं 15 लाख लिया है रिपोर्ट बानाने के लिये। 454 हाथी बाज टावर बनाया गया है जो कि ई.आाई.ए. रिपोर्ट में नहीं है। कंपनी ई.ए.पी. नहीं चालायेगा तो 400 रूपये का फायदा होगया लेकिन 400000 व्यक्ति को नुकसान होगा उसका क्या। हाथी संरक्षित समारूमा पड़कीपहरी में बोर्ड है लेकिन ई.आई.ए. में नही दर्ज है। दूसरी बात मैने ये लगाया ये तो पेज क्रमांक 8 देखेंगे तो इसमें एलिफेंट वाच टॉवर 4.49 लाख और बकायदे उसमें बिल भी लगे हुये है, जो वन विभाग ने बिल जारी किया है। तीसरा ये हाथी संरक्षित के लिये बकायदे फोटो लगे हुये है साहब पर आपकी ई.आई.ए. के अंदर केवल सियार, लोमड़ी, सॉप और तितुर आदि पाये जाते है परन्तु हाथी, हिरण, बाघ, बारह सिंघा और नील गाय नहीं पाये जाते, परन्तु हमारे मुताबिक इन 20 सालो में तो और 25 सालो के अध्ययन में तो मैं ये बता सकता हूँ कि इस क्षेत्र में कितने हाथी मरे है और कितने हाथियों के द्वारा कितने लोग मरे है और कितना मुआवजा मिला है वो भी दस्तावेज आपके साथ है। अब अगर इस ई.आई.ए. का अध्ययन करें तो एक वन विभाग का अधिकारी है काकाझरिया में ये फारेस्ट का नाका है इसके घर के दीवार में ये दिया गया है कि इसके वन क्षेत्र के अंदर कौन–कौन से जंगली जानवर पाये जाते है मैने उसका बंगले का फोटोग्राफ्स लिया है और मै ये प्रुफ कर सकता हूँ कि ये जंगली जानवर इस क्षेत्र में पाये जाते है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का जो हमारा पर्यावरण है सर की जल, जंगल, जमीन और जीव और जानवर अगर इसका संतुलन बना हुआ है तो हमारा पर्यावरण ठीक माना जाता है और अगर इनमें से एक भी चीज अगर डिस्टर्ब होती है तो हम यह मानते है, विज्ञान यह मानता है कि हमारा पर्यावरण जो है वो आज लोगो के जीवन जीने के काबिल नहीं है। दूसरी बात अगर हम देखे कि कंपनी के अध्ययन रिपोर्ट जो आई है सुरैना फाउण्डेशन की एक अध्ययन रिपोर्ट निकली है उस अध्ययन रिपोर्ट में कहा कि रायगढ़ इतना पालुटेड हो चूका है कि आज लगभग 8 से 10 प्रतिशत लोग कैंसर जैसे गंभीर बिमारियां हो रही है, विगत दो महिने के अंदर मैने ऐसे 10 परिवार देखे है जिनमें कैंसर से मृत्यु हुई है। 52 परसेंट लोगो का दमा, स्नोफिलिया जैसे गंभीर बिमारियां हो रही है जितने जल स्त्रोत निस्तार के है वो जल स्त्रोत इतने ज्यादा प्रदूषित हो चूके है कि जिसकी वजह से मैने लोगो को खाज–खुजली जैसी गंभीर बिमारियां विकसित हो रही है, परन्तु इन चीजो का जवाब मुझे आपकी ई.आई.ए. के अंदर पढ़ने और देखने को नहीं मिला मै आपकी ई.आई.ए. का 15 दिन लगभग रात दिन खोज करते रहा उसका ऑपरेशन करते रहा ऑपरेशन थियेटर के अंदर और देखते रहा लेकिन मुझे लगा ये कैसा मजाक है कि मैं जब आया तो सुन रहा था कि हमारे ई.आई.ए. बनाने वाले साहब अंग्रेजी में बोल रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहब जितने लोग बैठे है उनमें से 2 परसेंट लोगो को सही तरीके से हिन्दी

आती है। आपने जो कुछ अंग्रेजी में कहा था मुझे लगता है कि मैडम और सर अगर समझ जाये और 2–4 इधर समझ पाये होंगे, बाकी इधर जीरो बटे सन्नाटा ये क्या है। आपने क्या कहा लोगो को ये बात समझ में नहीं आयी, यहा तो लोग सब छत्तीसगढ़ी जानते है, हिन्दी जानते है। आपने ई.आई.ए. के 15–20 पन्ने अंग्रेजी में धड़ाधड़ ऐसे पढ़ा जैसे कोई पंडित सत्यनारायण की कथा पढ़ता और अंत में स्वाहा कहता है वो सुना है कि समझा है नहीं, मैं यह कहना चाहता हूँ साहब कि जो आपकी ई.आई.ए. बनी है क्या वो ई.आई.ए. 10 कि.मी. रेडियस के अन्दर गई क्या? और आपको बता दू साहब 10 कि.मी. के अन्दर जो प्रभावित गांव है सभी स्थानों में ई.आई.ए. पहूंची ही नहीं और जिन गांवो में ई.आई.ए. गई है वो 450 पन्ने की अंग्रेजी किताब है जिनको हिन्दी नहीं आता वो ई.आई.ए. में साईंस की भाषा क्या संमझे होगें मुझे समझ में नही आता। मुझे तो आपकी भाषा समझने में 25 साल लग गये। पढ़ाई के साथ साथ मैं समझते रहा आपकी भाषा अब भी मै बता रहा हूँ केवल 40 प्रतिशत् आपकी भाषा समझ पाया बाकी 60 प्रतिशत् अभी भी समझ नहीं पाया। दुसरी बात कंपनी के विगत् कई साथियों ने कहा कि विगत् 10–15 सालो से कंपनी चल रही है, इसके मालिक हर 3 साल में बदलते रहते है और इसके साफ जाहिर होता है कि मालिक अगर 3 साल में बदल रहे है यानि कंपनी सफल नहीं है, अपने काम में कही न कही इसके असफलता का मापन यह है कि अगर तीन महीने तीन साल एक मालिक बेच के दुसरा मालिक बन जाये तीसरा बन जाये और अभी तक कंपनी के तीन नाम भी बदल गये। अभी स्केनिया स्टील है इसक पहले के दो और नाम है वो अलग अलग मालिक हुआ करते थें। मैं उन सभी तीन मालिको को जानता हूँ साहब, कंपनी ने अध्ययन रिपोर्ट में यहां का तीसरा महत्वपूर्ण बात का कही अध्ययन नहीं किया कि यहां जल का स्तर क्या है? और आपको मैडम बता दू कि 15,14,299 घन लीटर पानी जो है जो यहां कि कंपनी भु–जल दोहन कर रही है और इससे स्थिति यह हो गया है कि पी.एच.ई. विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 750 हेण्ड पम्प ड्राई हो चुके है ये इस लिये ड्राई नहीं हुए कि जल का स्तर कम हैं कही जल स्तर में जहां माईनिंग है जहां पावर प्लांट है, जहां उद्योग है और लगभग अगर इन गांवो की गिनती किया जाये तो लगभग 250000 आबादी तमनार क्षेत्र के अन्दर पानी के लिये तरस रही है अभी मैं 15 दिन पहले एक गांव में गया था मैडम आपको बता दूं कि उस गांव के लोग नहाये नहीं है और पुरे गांव के लोग मेरे पास बैंठे और बोले साहब हम हल नहीं नहाये, अरे भई क्यों नहीं नहाये? इतने गर्मी में क्यो नहीं नहाते बोले कि कल हमारे गांव में बिजली नहीं थी, बोर नहीं चला, इसलिये गांव में पानी पीने तक के लिये नहीं मिला और इसलिये हम गांव के लोग नहा नहीं पाये पानी के चलते। तो पानी क्या तमनार क्षेत्र में खसकर रायगढ़ जिले में क्या संकट है, ये मैं बताना चाहता हूँ कम्पनी को कि कंपनी कि जो ई.आई.ए. बनाने वाले साथी है अगर ये अध्ययन करने से थोड़ा पहले अगर मुझसे भी मदद ले लिये होते तो शायद ये एक बेहतर ई.आई.ए. रिपोर्ट बनती और जिस पर मुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। सर जो मैं वन विभाग की बात कर रहा हूँ, पता नहीं ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाने वाले सही है या फिर वन विभाग ने, ये दोनो में से किसी एक पर कार्यवाही तो बनती है। मेरे पास ये सूचना के अधिकार का एक डाटा है जिसमें केवल समारूमा गांव में वन विभाग ने, आपको बता दूं कि किस पर कितना खर्चा किया। जल व्यवस्था हेतु समारूमा – 847, 2008–09 में 511000 का तालाब हाथियों के लिये हाथी इसमें पानी पीयेंगें। फिर दूसरा है जंगली हाथियों के लिये खाद्य व्यवस्था नमकीन है बिस्कीट है पता नहीं क्या दिये है। 847 नं में 562500 रूपये का हाथियों के खाने की व्यवस्था की गई। फिर नं. 3 जंगली हाथियों के खाद्य व्यवस्था फिर 2008–09 में फिर व्यवस्था की गई 426500 रूपये का फिर हाथियों ने भोजन किया पता नहीं वन विभाग के तरफ से शादी विवाह ाक कोई कार्यक्रम हो इस तरीके के खर्चे हमारे पास है फिर देखिये हाथी बाज टावर 887 के अन्दर अगर देखे तो इनमें 299281 रूपये खर्च किये गये साहब। 2008–2009 में ये समारूमा में हुआ है। झीगोर पर जो खर्चा हुआ वो 2 लाख 99 हजार 981 खर्चा किया गया। प्रभावित गांव में हाथी खदेड़ने हेतु सामारूमा को जो दिया गया साहब, ये दिया गया 80 हजार 500 रूपये सामारूमा में हाथियों को भगाने के लिये खर्चा किया गया। अब बताईये ई.आई.ए. गलत है या वन विभाग वाले भ्रष्टाचार किये है ये फर्जी बिल वाउचर हो सकते है। कोई न कोई कार्यवाही बननी चाहिये साहब, फिर हाथी प्रभावित 2008–09 में फिर मजे की बात यह है कि 64 हजार 968 रूपये फिर हाथी भगाने के लिये खर्चा किया गया, फिर 2009–10 में 50 हजार फिर हाथियों पर खर्च किये और प्रभावित गांव में हाथियों के लिये लाईट, मोमबत्ती, दीये जलाने के लिये भी 1750 रूपये खर्च

किये गये। ये सारा हाथियों के स्वागत के लिये मोमबत्ती दीया ये सब जलाये गये होंगे साहब। अब अगर इसके बाद भी ई.आई.ए. बोले कि अगर यहा हाथी नहीं है ये मैने एक पूरी सूची लगा दी है इनको मुआवजा दिया गया है। 368 ऐसे परिवार है जिनको 2010 तक जिनको कृषि क्षतिपूर्ति या घर की क्षतिपूर्ति के रूप में दिया गया है और 6 ऐसे लोग है जिनको हाथी कुचल के, पटक के मारा जिनको वन विभाग ने 1.5 लाख और 2.5 लाख रूपये दिया है, उसके भी पूरे बकायदा मैने कोशिश किया है कि मै जो बोलु प्रुफ के साथ बोलु क्योंकि फिर कंपनिया मेरे ऊपर फर्जी एफ.आई.आर. भी करवाती है कि मैं पत्रकार बंधु गोली लेके आता हूँ और यह जॉच भी हो जाये कि मेरे झोले में किताब और कागज के अलावा कभी कुछ होता नहीं है। तीसरी बात सर इस कंपनी के पास स्केनिया स्टील एण्ड पॉवर के हमने जल संसाधन विभाग, पी.एच.ई. विभाग से एक जानकारी निकाली लोगो ने कहा कि 15 साल से ये कंपनी चल रही है साहब पर आपको बता दूँ साहब कि विगत 15 सालो में ग्राउण्ड वाटर के लिये कंपनी कोई आवेदन किया और न तो कंपनी के पास किसी भी प्रकार की कोई परमिशन है और कंपनी धड़ल्ले के साथ चल रही है। कितना बढ़िया सहयोग है राजनितिक संबंध बहुत अच्छे होंगे, प्रशासनिक रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। मेरे घर का तो साहब नल का बिल नहीं पटाया था तो नगर निगम आया और कहा कि आपने बिल नहीं पटाया और ये कंपनी 15 साल से धड़ल्ले से चल रही है 10–10 बोर करके, इसके बावजुद हिम्मत है कि साहब जो मुझे मिला है साहब मैं उसकी बात करता हूँ मैं दूसरे का नहीं करता मैं अपने कागजो की बात करता हूँ शायद आपको मिल गया हो अच्छी बात है आप अपनी तथ्य रखे सर एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है जो आपसे जुड़ी हुई है ये अच्छी बात यह है कि इस कंपनी की पहले जनसुनवाई होने वाली थी शायद 10 मार्च 2017 को अब बाद में वो एक दिन पहले निरस्त हो गई, आगे बड़ गई। सर आपके द्वारा एक प्रतिवाद दायर किया गया था, अब तीन प्रतिवाद इस कंपनी के खिलाफ पर्यावरण के वायलेशन के खिलाफ पहले से न्यायालय में लगाये गये है। एक तरफ हम यह बोल रहे है कि कंपनी बिलकुल साफ सुथरी है, दूध की धुली है ये कंपनी कभी कोई वायलेशन नहीं करती और दूसरे तरफ उसी कंपनी पर जो केस हुआ है ये 07.01.2017 को जिला न्यायालय में इस कंपनी के खिलाफ हमारे पर्यावरण अधिकारी महोदय ने एक प्रतिवाद दायर किया और प्रतिवाद में इसमे लिखा क्या है सर? जिस कंपनी की हम आज जनसुनवाई कर रहे है जिस किलन के लिये मैडम वो कंपनी में जब हमारे अधिकारी लोग गये तो इसमें यहा लिखा है कि प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 एवं वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण के मामले में ये पर्यावरण विभाग के लोग 01.02.2014 को भी यहा गये इसके पहले 22.12.2016 को पर्यावरण की एक टीम इस कंपनी के अंदर जॉच करने पर्यावरण के मापदण्डों को जॉचने जाती है इसमें ये लिखा गया है कि जब मेरे द्वारा जॉच किया गया तो 1, 2, 3 किलन नंबर 1, 2, 3 चलते पाये गये ओर उस कंपनी के किलन नंबर में बकायदे उत्पादन पाया गया, जिसके लिये हम लोग आज जनसुनवाई की मगजमारी 48 डिगरी सेल्सीयस की गर्मी में कर रहे है। ये कंपनी का उत्पादन जब किलन नंबर 1, 2, 3, 4 में अगर चल रहा है तो इस गर्मी में हम और लोगो को मारने की क्या जरूरत है, ऐसे ही परमिशन दे देते, बिना परमिशन के उत्पादन तो चालु ही है और मजे की बात यह है कि इसकी जॉच करने के अपने–अपने तरीके है कि कंपनी का जो कच्चा माल लोहा है, कंपनी का जो कोयला का लागत कितना है, उसमें पानी कितना लगा, उसकी बिजली खपत कितनी हुई और उसने अपने माल को कितना बेचा? अगर हम इसकी जॉच कर ले तो कंपनी के तीनो, चारो किलन चल रहे है कि नहीं चल रहे है पता चल जायेगा, तो अगर मैं ये प्रशासनिक अधिकारियों को समझ में नहीं आती और मै बोलता हूँ कि मेरे जैसे आदमी किसी की आप जॉच करने के लिये बोलो मैं 10 मिनट के अंदर रायगढ़ जिले की जिस कंपनी की बोलो जॉच करके आपको बताता हूँ कि कंपनी ने विगत 6–8 महिने, साल भर में उसका कितना कोयला, कितना लोहा, कितना पानी, कितना बिजली खपत और उसनें कितना उत्पादन किया और कितना बेचा। मैं किसी भी कंपनी के अंदर जॉच करके बता सकता हूँ, मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में क्या पूरी ई.आई.ए. के अंदर ये साहब आपके दो–तीन पन्ने नहीं लगे है क्योंकि इन, ये एक व्यवधान पैदा कर सकता है, और आगे ये कहना चाहता हूँ साहब की स्केनिया 10–15 साल से चल रहा है तो बधाई के पात्र है लोगो ने कहा कि रोजगार मिल रहा है। अगर आस–पास के ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है तो मैं स्वागत करता हूँ कि लोगो को रोजगार मिलना चाहिये, ये लोगो का हक है, पर आपको बता दूं कि सर विगत 10 किलोमीटर की रेडियस

में आज तक मैने कही ये नहीं देखा हूॅ कि कंपनी के द्वारा सी.एस.आर. की कोई गतिविधि की गई है, कोई भी गतिविधि मैने सूचना के अधिकार पूरे तथ्यों को निकाला विगत 10 सालो में, और उनका अध्ययन किया और अध्ययन में पाया कि सी.एस.आर. के तहत् मेरे पास पेसा एक्ट प्रावधान की मैने किताब ले कर आया है और पेसा एक्ट में लिखा है किसी कंपनी के लाभांश का 20 प्रतिशत पेड़–पौधा छोड़के शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसे बुनियादी कामो के लिये होना चाहिये और आपको बता दू साहब और कंपनी के सी.एस.आर. जो पेसा एक्ट का जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर, और इस जजमेंट के मुताबिक यह कहा गया है कि आस–पास के आदिवासी बाहुल क्षेत्रो में किसी भी कंपनी को अपने लाभांश का 20 प्रतिशत जो पेड़–पौधों को छोड़ के वहा के शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, निस्तारी जल के क्षेत्र में काम करना चाहिये पर सर ये बता दू, आज तक मैडम विगत 10 किलोमीटर के रेडियस में कंपनी के द्वारा एक ईट गाड़ा मैने नहीं देखा। लोगो ने कहा की हमारे क्षेत्र में कंपनी के आने से विकास होगा, अगर होता है मैं आपके भावनाओं का मैं सम्मान करता हूॅ। मेरे यहा गौटिया जी भी बैठे हुये है, गेरवानी से सराईपाली के बीच में 10 कंपनियां है अगर नया आदमी गेरवानी से सराईपाली अगर धोखे में चला जाये तो मैं यह दावा कर सकता हूॅ रात में बिना गिरे सड़क से वो सराईपाली पहुंच ही नहीं सकता और 10 कंपनिया है सी.एस.आर. में वो मशाल जला के रखी है, वो कहती है कि हम विकास कर देंगे और ऐसा विकास करेंगे कि लोग वैसा सोच नहीं सकते। रायगढ़ में लगभग 154 छोटे–बड़े मैडम उद्योग है अगर हम इनके सी.एस.आर. की अगर बात करें तो सी.एस.आर. ईमानदारी से खर्च हो जाये तो मैं बता रहा हूॅ कि जब से ये कंपनियां आयी है आज तो रायगढ़ वाकई में स्वर्ग हो गया होता पर दुर्भाग्य की बात यह है कि यह हमारे जंगल का फायदा ये लेते है, हमारे बिजली का फायदा लेते है, कोयले का भी फायदा लेते है। हमारी जो प्रधानमंत्री सड़के बनी हुई है जिसका 12 टन का प्रावधान है उसमें 80 टन की कोयले की गाड़ियां उनके यहा जाती है ओर हश्र यह है कि आज तक पूंजीपथरा में इतना बड़ा वो है पूंजीपथरा का जो एक स्कूल है प्राईमरी इसकी बाउण्ड्रीवाल सी.एस.आर. में नहीं बन पायी, कितनी बढ़िया लोगो की सेवा करते है। आज तक पूंजीपथरा जैसे गांव में, सामारूमा जैसे गांव में एक बड़ी पानी की टंकी नहीं बन पाई ताकि गांव के लोगों को जल आपूर्ति की जा सके। आज तक झिगोल है, आमाघाट है मैं 10 किलोमीटर की रेडियस के अंदर की बात कर रहा हूॅ, तुमीडीह है, इधर गोरमुड़ी है, जमडबरी है, सराईपाली भी 10 किलोमीटर के अंदर आता है, और अगर 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर देखे तो एक बेहतर पेयजल की व्यवस्था तक अगर हमारी यह कंपनियां नहीं कर पाई लोग स्वागत करते है आज जितने लोगो ने स्वागत किया उनमें से कल कुछ लोग मेरे पास आयेंगे कि साहब माफी मांगता हूॅ, मजबुरी थी मैने स्वागत तो कर दिया पर मेरे गांव के अंदर इस–इस तरीके की परेशानियां है तो उन परेशानियों का भी अध्ययन किया जाना चाहिये और मुझे लगता है कि लोकप्रियता का मापदण्ड किसी कंपनी, किसी इंसान का उसके काम से होता है। खरीदी हुई लोकप्रियता बहुत स्थाई बहुत दिनों तक नही चलती अभी कल ही मैं एक न्यूज देख रहा था कि मुकेश बंसल साहब कलेक्टर जो यहा थे उनको मुख्यमंत्री ने मंच में पीठ थपथपाया, राजेश राणा का बलौदा के लोगो ने चक्काजाम कर दिया कि हम अपने कलेक्र को नहीं जाने देंगे। कलेक्टर तो बहुत है पूरे जिले के अंदर इन्ही दो के लिये लोग क्यों लड़ते है, लड़ते इसलिये है कि उन्होने जनभावनाओं का सम्मान किया है, ठीक है तो मैं अध्ययक्ष महोदया यह कहना चाहता हूॅ इन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाना चाहिये और उस अध्ययन के मुताबिक आगे ये तय होना चाहिये कि कंपनी को विस्तार की परमिशन मिलनी चाहिये या नहीं मिलनी चाहिये क्योंकि रायगढ़ में एयर पालुशन, रायगढ़ जिले के अंदर सबसे बड़ा अगर आज कोई प्रॉबलम है और आने वाले समय में आने वाला है कि जो हमारे जिले में फ्लाई एश पैदा हो रहा है उस फ्लाई ऐश का निस्तारण हम कहा और कैसे करेंगे। वायु प्रदूषण में और जल प्रदूषण के अंदर जिस तरीके से बिमारियां पैदा हो रही है उसके लिये हम लोग किस तरीके से निस्तारण का काम करेंगे तो सभी इन तथ्यों पर उद्योगों को विचार करना चाहिये और विचार करने के बाद आगे यह तय करना चाहिये कि कंपनी का विस्तार होना चाहिये कि नहीं होना चाहिये। सर मैं एक बात और कहना चाहुंगा कि जो कंपनी लगी है अभी स्केनिया स्टील की बात करते है। रायगढ़ और जो जशपुर रोड है अंबिकापुर जो नेशनल हाईवे 55 है कागज पे कुछ लोगों ने कहा ये नेशनल हाईवे नहीं है, ये स्टेट हाईवे है। नेशनल हाईवे का बड़ा ध्यान है कि 500 मीटर के आस–पास किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं लगना

चाहिये और अगर स्टेट हाईवे है तो इसमें 120 मीटर यह अनिवार्य है कि नेशनल हाईवे के रोड से कोई भी उद्योग नहीं लगना चाहिये तो इस तरीके के तथ्यों का भी अवलोकन किया जाये मैने इन तथ्यों का अवलोकन किया है और इन सभी तथ्यों को देखते हुये मैं आज की जनसुनवाई प्रक्रिया का विरोध करता हूँ।

147. करण, पत्थलगांव – मैं समर्थन करता हूँ।
148. दीपक, समारूमा – मैं समर्थन करता हूँ।
149. गजानंद यादव, समारूमा – मैं समर्थन करता हूँ।
150. सीतामणी, समारूमा – मैं समर्थन करती हूँ।
151. चमरीनवाई, उज्जवपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
152. सुनीता, समारूमा – मैं समर्थन करती हूँ।
153. बुधयारिन, भुईकुर्री – मैं समर्थन करती हूँ।
154. माधुरी, भुईकुर्री – मैं समर्थन करती हूँ।
155. गौरव, भुईकुर्री – मैं समर्थन करती हूँ।
156. निर्मला, भुईकुर्री – मैं समर्थन करती हूँ।
157. सेवति, पुंजीपथरा – मैं समर्थन करती हूँ।
158. बंसती, पुंजीपथरा – मैं समर्थन करती हूँ।
159. चम्पा, पुंजीपथरा – मैं समर्थन करती हूँ।
160. सोहद्रा, पुंजीपथरा – मैं समर्थन करती हूँ।
161. सुलोचना – पुंजीपथरा – मैं समर्थन करती हूँ।
162. विमला, तराईमाल – मैं समर्थन करती हूँ।
163. कुमार, पुंजीपथरा – मैं समर्थन करती हूँ।
164. सविता, पुंजीपथरा – मैं समर्थन करती हूँ।
165. निली, पुंजीपथरा – मैं समर्थन करती हूँ।
166. केसर, पुंजीपथरा – मैं समर्थन करती हूँ।
167. सुशीला, पुंजीपथरा – मैं समर्थन करती हूँ।
168. अनिता, पुंजीपथरा – मैं समर्थन करती हूँ।
169. संध्या, पुंजीपथरा – मैं समर्थन करती हूँ।
170. चितरूवाई, तराईमाल, पुंजीपथरा – मैं समर्थन करती हूँ।
171. लीलावति, तराईमाल पुंजीपथरा – मैं समर्थन करती हूँ।
172. संकांति, पुंजीपथरा – मैं समर्थन करती हूँ।
173. हेमलता, तराईमाल, पुंजीपथरा – मैं समर्थन करती हूँ।
174. कमला, तराईमाल, पुंजीपथरा – मैं समर्थन करती हूँ।
175. कल्पना, उल्लवपुर, पुंजीपथरा – मैं समर्थन करती हूँ।
176. हारा, पुंजीपथरा – मैं समर्थन करती हूँ।
177. सावित्रि बाई, पुंजीपथरा – मैं समर्थन करती हूँ।
178. जयंत बहिदार, जन संघर्ष मांर्चा, रायगढ़ – इस लोकसुनवाई के पीठासीन अधिकारी आदरणीय एडिशनल कलेक्टर साहब, पर्यावरण अधिकारी शर्मा साहब और तमाम सरकारी पक्ष में बैठे हुये लोग, उस तरफ जो बैठे है सामने सबके साथ, इस आदिवासी अंचल के दुर्भाग्यशाली लोग जयंत बहिदार, जनसंघर्ष मोर्चा रायगढ़। आदरणीय महोदय पर्यावरण अधिकारी महोदय से पुछ रहा हूँ कि स्केनिया स्टील्स कंपनी के लिये ये लोकसुनवाई आप क्यों करने जा रहे है? मै प्रश्न कर रहा हूँ आपसे, छोटी सी जवाब है आप देना चाहे तो, कोई प्रावधान है क्या जनसुनवाई कराने का क्यों पर्यावरण अधिकारी महोदय, पीठासीन अधिकारी महोदय तो हमारे नये आये है उनको उतना ज्ञान नहीं होगा, इस लोकसुनवाई और पर्यावरण कानून का। आप मेरे को बताने का कष्ट करेंगे ये लोकसुनवाई क्यों करा रहे है? कोई प्रावधान है क्या? कोई कानूनी प्रावधान है क्या? नहीं बतायेंगे आप, अगर कानूनी प्रावधान नहीं होता तो आप लोग नहीं कराते, कानूनी

प्रावधान है, परन्तु आप लोग कानून का पालन नहीं कर रहे है। इन प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे है, लोकसुनवाई के लिये और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एडिशनल कलेक्टर और जिला अतिरिक्त दण्डाधिकारी के समक्ष कानून का उल्लंघन हो रहा है और खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, ये लोकसुनवाई कराके, क्योंकि आप लोग जो कानून सम्मत प्रावधान है उसका पालन नहीं कर रहे है। जब प्रशासन और पुलिस के लोग कानून का उल्लंघन करेंगे तो आम आदमी से आप क्या भरोसा करते है, हमने इस लोकसुनवाई की वैधता को लेकर कलेक्टर महोदया से भी और प्रशासन के अधिकारियों से आपके पर्यावरण विभाग से और फिर दूर्भाग्य से कहुंगा कि हम पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मिले थे, परन्तु आपका प्रशासन और पुलिस अधीक्षक ने भी इस गैरकानूनी कार्यवाही जो आप करने जा रहे है उसे रोकने का कोई कार्यवाही का आश्वासन नहीं दिया और न रोकने की प्रक्रिया आरंभ की, हम पुछते है 10 मार्च को आप लोग इस लोकसुनवाई को क्यों स्थगित किये, क्या कारण था, हमने तो लिख के दिया था कि प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है स्थगित किया जाये, मगर हमने यह देखा की आपने इस जो 10 मार्च को जो लोकसुनवाई थी इसको आपने अपने सुविधा के लिये फैक्ट्री वाले की सुविधा के लिये स्थगित किया हम उसके बाद 01 मई को भी आपको दिया है आपत्ति लिखकर कि ये लोकसुनवाई को रोका जाये और जो विधिसम्मत जो ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 का प्रावधान है जो भारत के पर्यावरण कानून 1986 के तहत् बनाये गये है, उसके तहत् कराये जाये, परन्तु आप लोगो ने उस प्रावधान का भी उल्लंघन किया है। छत्तीसगढ़ सरकार के पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव जो बाद में मुख्य सचिव भी बने उन्होने 21.12.2006 को एक आदेश जारी किया पूरे प्रदेश में कि पर्यावरणीय जनसुनवाई ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के प्रावधान के तहत् ही होना चाहिये, परन्तु रायगढ़ का पर्यावरण विभाग और रायगढ़ का प्रशासन, और रायगढ़ का पुलिस अधीक्षक इस कानून का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। आपको यह बात याद रखनी होगी की जिस तरह से कंपनी के खिलाफ जिस तरह एन.जी.टी. और सूप्रीम कोर्ट में मामला गया है इस लोकसुनवाई को लेकर के भी आपको सूप्रीम कोर्ट में सामना करना पड़ेगा और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग में भी सामना करना पड़ेगा। इसकी खिचाई आपकी ओगी, आपके प्रावधान में अब आपको तो मालूम है जनता को नहीं मालूम होगा इसलिये हम बता देते है। इस ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 में ये प्रावधान है कि उसके पैरा 7 के उपपैरा 3 और खण्ड 3 के अनुसार जो परियोजना स्थल है वही पर जनसुनवाई होना चाहिये या उसके गांव में होना चाहिये। गांव में ही जनसुनवाई होना चाहिये आप 3 किलोमीटर दूर तराईमाल के बंजारी गांव में, बंजारी मंदिर के इस प्रांगण में इस जगह में कर रहे है जनसुनवाई, कितना बड़ा उल्लंघन है? माने प्रशासन जानबुझकर के आंख बंद करके बैठा है। उसी ई.आई.ए. रिपोर्ट में परिशिष्ट 4 के बिन्दु 1 में भी यही प्रावधान है कि जनसुनवाई उसी स्थल पर होनी चाहिये जहां पर प्लांट है या उसी गांव में होनी चाहिये। आप प्लांट में तो दूर तराईमाल के गांव में पूंजीपथरा गांव में जहा फैक्ट्री है वहा पर नहीं कराके तराईमाल गांव के इस मंच पर, मंदिर के प्रांगण में करा रहे है, क्यों करा रहे है? क्योंकि आपमे कानून का सामना करने का अधिकार नहीं है, ताकत नहीं है इसलिये यही कहना चाहते है। फैक्ट्री के हाथों में आप लोग गुलाम बन गये है इसलिये फैक्ट्री की पसंद की जगह में आप लोग जनसुनवाई करा रहे है और कानून का उल्लंघन कर रहे है। आपके इसी प्रावधान में है ई.आई.ए. रिपोर्ट परिशिष्ट 4 बिन्दु 7 में है कि जनसुनवाई उद्योग कंपनी के आवेदन के 45 दिन के अंदर में आपको लोकसुनवाई करानी चाहिये आप कब करा रहे है एक साल दो साल हो गया, दो साल से ज्यादा हो गया, दो साल के बाद क्यों करा रहे है आप लोग ऐसा। क्यों आप लोग सूविधा देना चाहते है फैक्ट्री को, ऐसा लगता है प्रशासन का पूरा का पूरा अमला बिका हुआ है उद्योग से। इसलिये आप ऐसा करा रहे है, कानून का उल्लंघन कर रहे है खुलेआम और जनता से उम्मीद करते है कि वो कानून का पालन करें। हमने पुलिस अधीक्षक को भी बताया, पुलिस अधीक्षक बोलता है हमारा काम नहीं है, तो किसका काम है। एफ.आई.आर. दर्ज कराया हमने, क्यों नहीं किया कलेक्टर के खिलाफ, पर्यावरण अधिकारी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं किया? हमारा यही कहना है राजेश त्रिपाठी ने जितनी बाते बताया हम उसको नहीं दोहरायेंगे हमारे पीछे हमारे क्रांतिकारी साथी राधेश्याम शर्मा भी है वो भी प्रावधान की बात करेंगे। आप लोगो ने कानून का पालन नहीं किया यही हमारी आपत्ति है यही दर्ज कर लीजिये बड़े शर्म की बात है कलेक्टर कानून का पालन नहीं करता, एस.पी. कानून का पालन नहीं करता, प्रशासन और पुलिस जितना कानून का उल्लंघन करता है आप आदमी

कानून का उल्लंघन नहीं करता परन्तु आम आदमी के पास वो अधिकार नहीं है कि आप लोगो के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने का। अगर आप लोगो के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराने जाये तो पुलिस नहीं करती, होगा कोई प्रावधान आयेगा आप लोगो की यहां खिचाई होगी वो प्रावधान भी होगी। धन्यवाद। जयहिन्द।

179. राधेश्याम शर्मा, जन जागरण मंच, रायगढ़ – इस अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामीण बाहुल क्षेत्र के उपस्थित माता बहनो, किसान मजदुर व हमारे पत्रकार साथी, यहा व्यवस्था को समुचित रूप से व्यवस्थित करने के लिये पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी, जिला प्रशासन के अधिकारी मान्नीय पर्यावरण अधिकारी महोदय और इस कार्यक्रम जनसुनवाई को सम्पन्न कराने हेतु जो प्रिसाईडिंग आफिसर है, उन सब को मेरा वन्देमातरम, मेरा प्रणाम। हमारे पिछले साथियों ने जिन बिन्दुओं पर आपत्ति और असहमति जताई है अपने–अपने विवेक से आपत्ति और सहमति जताई है और यह उनका अधिकार है, परन्तु इस जनसुनवाई से पूर्व मैं क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी महोदय मान्नीय शर्मा जी के समक्ष उपस्थित हुआ था कुछ बिन्दुओ पर स्केनिया जन सुनवाई के संबंध में मैने उनसे मार्गदर्शन चाहा था यथा संभव उन्होने मार्गदर्शन किया मैने उनका ध्यान आकृष्ट करवाया की यह जनसुनवाई की प्रक्रिया का आदेश एन.जी.टी. के द्वारा आदेश के पश्चात सुप्रीन कोर्ट देश की उच्चतम न्यायालय में ये आदेश पारित किया कि कंपनी को 60 दिवस के अन्दर जनसुनवाई की सम्पूर्ण प्रक्रिया को निस्पादित करनी है। एन.जी.टी. का निर्णय दिनांक 20.02.2012 हमारे साथियों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी कि केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने इस कंपनी ने गलत तरीके से बिना जनसुनवाई करवाये उनके किलन 1,2,3, एवं 4 जिसका आज की तारीख में जनसुनवाई विधिवत सम्पन्न होने जा रहा है उसका आदेश उन्होने केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय से प्राप्त कर लिया। अब जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में प्रकरण गया तो नेशनल ग्रीन ट्रिबनल ने पुनः जनसुनवाई हेतु आदेशित किया वो आदेश अपूर्ण है, क्योंकि अगर इस कंपनी के विस्तार के लिये केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने किसी पत्र के माध्यम से अनुमति दी थी बिना जनसुनवाई के तो वो अधिकारी जो अपराध किये है, उस पर कोई टिप्पणी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में नहीं किया जबकि उनका अपराध अक्षम्य था उसके उपरांत स्केनिया कंपनी मैनेजमेंट ने इस प्रकरण को मान्नीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील पर ले जाया गया जहा मान्नीय उच्चतम न्यायालय के विद्धान और न्यायप्रिय न्यायाधीश ने फैसले को उचित ठहराते हुये कंपनी एवं शासन प्रशासन को यह निर्देशित किया की 60 दिवस के अंदर जनसुनवाई करावयी जानी सुनिश्चित की जावे। ये मान्नीय उच्चतम न्यायालय के 20.05.2014 का निर्णय है और आज 25.05.2017 को यह जनसुनवाई हो रही है जो मान्नीय उच्चतम न्यायालय की निर्देशो की अवमानना है, उल्लंघन है, देश के सर्वोच्च कानून व्यवस्था का उल्लंघन है, अवमानना है, दण्डनीय अपराध है, इस अपराध को राज्य सरकार ने, पर्यावरण विभाग के सदस्य सचिव, कंपनी के प्रबंधन, रायगढ़ जिला दण्डाधिकारी, कलेक्टर एवं आज के प्रिसाईडिंग आफिसर तथा क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी महोदय एक सुनियोजित षड़यंत्र के तहत् मान्नीय उच्चतम न्यायालय का उल्लंघन करते हुये इस जनसुनवाई को कर रहे है ये कितने संगीन अपराध को कर रहे है, मै इतना पढ़ा–लिखा नहीं हूँ, नहीं जानता की किन–किन धाराओं पर इनपर अपराध पंजीबद्ध होना चाहिये, लेकिन होना चाहिए ये मैं जानता हूँ। उच्चतम न्यायालय से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। मैं शर्मा साहब से दो बार मिला उनसे निवेदन किया कि शर्मा साहब कि हमारी कलेक्टर महोदया, मान्नीय उच्चतम न्यायालय का खुलेआम उल्लंघन कर इस जनसुनवाई को कर रहे है आप कम से कम अपनी सर्विस को दांव में न लगाये और एक लाईन लिखकर भेज दे, कि नियम विरूद्ध जनसुनवाई नहीं किया जा सकता। आपकी अपनी स्वयं की अंतर्भूत शक्तियां है उसका उपयोग कर सकते है, परन्तु खेद का विषय है कि शर्मा साहब भी कंपनी के प्रभाव में या हमारे नेताओं के प्रभाव में या इस कंपनी के मैनेजमेंट के प्रभाव में आकर के मान्नीय उच्चतम न्यायालय का अवमानना किया। जानबुझकर षड़यंत्र पूर्वक वो भी संलिप्त हुये। दो बार मिलने के पश्चात् मुझे कुछ पत्र नहीं मिल पाए तो मैने शर्मा साहब से कहा कि ये जो समाचार पत्रों में अधिसूचना जारी की गई है उसकी कापी मुझे दे दे ताकि मैं न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर सकुं उन्होने खेद व्यक्त किया कि अभी मेरे पास नहीं है, आयेगा तब आपको उपलब्ध करवा दूंगा। मैं जानता हूँ कि जनसुनवाई की तारीख जो है वो निकट आ रही है इसलिये वो मुझे प्राप्त नहीं हो सका मैं न्यायालय नहीं जा सका, चलिये कोई बात नहीं। अगर आज

जनसुनवाई को इसके पश्चात् भी जारी रखा जाता है इस अवैधानिक गैरकानूनी जनसुनवाई को अगर जारी रखा जाता है तो इसके पश्चात् भी एफ.आई.आर. हो सकता है। हमारे भाई जयंत बहिदार ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान आयेगा कि अधिकारियों के ऊपर लागू होगा। मैं उन्हे इस मंच से बताना चाहता हूॅ और इस क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूॅ की जनता द्वारा राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ भी एफ.आई.आर. दर्ज किया जा सकता है। अगर किसी संवैधानिक पद के व्यक्ति पर भी संवैधानिक अधिकार का उपयोग करते हुये एफ.आई.आर. दर्ज किया जा सकता है। पुलिस नही करेगी तो उसके लिये न्यायालय है। न्यायालय में परिवाद दायर करके उसके लिये परिवाद की भी कैटेगिरी बनी हुई है जिसमें 256(3) के तहत् संविधान के तहत् संवैधानिक पदो के व्यक्ति को भी डायरेक्ट गिरफ्तारी करने का आदेश मान्नीय न्यायालय दे सकती है ये न्यायालय, का इसकी अंतर्भूत शक्ति है इसके पश्चात् मैं प्रिसाइडिंग आफिसर हमारी अपर कलेक्टर महोदया के पास भी गया उनसे भी मार्गदर्शन चाहा उनसे विनम्र निवेदन किया की मान्नीय उच्चतम न्यायालय का प्रश्न है मान्नीय उच्चतम न्यायालय में इसमें 60 दिन की समयसीमा निर्धारित की है। उसके पश्चात् जनसुनवाई, आगे के क्रम में मैं यह बताना चाहुंगा क्योकि हमारे यहा एडिशनल कलेक्टर महोदया महिला है, मुझे बहुत उम्मीद थी कि जिला कलेक्टर अगर भ्रष्ट हो गई तो कम से कम एडिशनल कलेक्टर महोदया मेरी बात को सुनेंगी और मान्नीय उच्च न्यायालय के मान को रखेंगी और जनसुनवाई को निरस्त कर देंगी। यह मेरे को उनसे उम्मीद थी, अपेक्षा थी मैने निवेदन किया था और मैं पुनः आदरणीय शर्मा साहब से और आज के प्रिसाईडिंग आफिसर महोदया से पुनः करबद्ध प्रार्थना करता हूॅ की मान्नीय उच्चतम न्यायालय जिस पर पुरे देश का विश्वास जिस पर हमारे देश की अंतिम न्याय व्यवस्था है उसका पालन करते हुये आज की जन सुनवाई को कानून का सम्मान करते हुये यही पर स्थगित करने की घोषणा किया जाये उनका मैं अभिमत चाहुंगा कि वो घोषणा कर रहे है या नहीं कर रहे है वो बाध्य नहीं है अपना–अपना स्वतंत्र अधिकार है। अगर एक न्यायिक पद का व्यक्ति प्रशासनिक पद का व्यक्ति ये सोच ले कि मुझे उच्चतम न्यायालय के कानूनों का उल्लंघन करना है तो मैं भी इस सार्वजनिक स्थल पर यह वचन देता हूॅ कि जब तक जिंदा रहूंगा जो भी प्रशासनिक अधिकारी इसमे सम्मिलित है उनके विरूद्ध अपराध जरूर पंजीबद्ध करवाउंगा और इस जनसुनवाई की वैधता को यह जिला स्तर न्यायालय में मैं चुनौती जरूर दूंगा, क्योंकि प्रशासन ने या पर्यावरण विभाग ने मुझे दस्तावेज सही समय पर उपलब्ध नहीं करवाया, इसलिये मैं न्यायपालिका में नहीं जा सका और गया होता तो जरूर न्यायालय का उचित आदेश मिला होता। क्योंकि 2003 में जिंदल के अगेन्स्ट मे मैं, ये घमंड की बात नहीं है, मै पहला व्यक्ति नहीं है जो निचली अदालत से, पर्यावरण विभाग से संबंधित मान्नीय उच्च न्यायालय को होती है लेकिन 2003 में जिंदल के अगेन्स्ट में मैने स्थगन आदेश लिया था और उसके पश्चात मेरे और साथियों ने बहुत सारे स्थगन आदेश लिये यह कानून का उल्लंघन है। जनसुनवाई और पर्यावरण प्रावधानों से कोई लेना–देना नहीं है। जिला कलेक्टर या पीठासीन अधिकारी महोदय यदि कानून का उल्लंघन कर रहे हो तो अपराधी है, दोषी है, और जहा तक जानबुझकर के जनता के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुये अधिकारियों को उनके दायित्वों का निर्वहन करने के लिये अनुरोध किया गया उसके पश्चात भी उल्लंघन किया गया तो यह घोर दण्डनीय अपराध है क्योंकि अंजाने में किया गया अपराध और सुनियोजित षड़यंत्र के तहत् किया गया अपराध इन दोनो में अंतर है तो आज जनता को ये पता लग जायेगा तथा उसके पीठासीन अधिकारी मान्नीय एडिशनल कलेक्टर महोदया ये सब बात जानते हुये भी मौन बैठी है उन्हे यह विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायधीश उनका कुछ नहीं कर सकता वह उनसे भी ज्यादा पॉवरफुल है, तो जो मान्नीय उच्चतम न्यायालय के न्यायप्रिय न्यायधीश है अब मैं दूसरे बिन्दु पर आता हूॅ। इस जनसुनवाई की वैधता से संबंध पर प्रश्न, मान्नीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश था उस आदेश में 60 दिवस का उल्लेख है। उसके पश्चात इस कंपनी के मैनेजमेंट ने वर्ष 20.02.2016 को जनसुनवाई के लिये आवेदन किया जो की पूर्णतः अवैधानिक है, जब मान्नीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित कर दिया था तब इस कंपनी के मैनेजमेंट को निश्चित रूप से दिशा निर्देश लेने की आवश्यकता थी क्योंकि उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है तो कोई राज्य सरकार का सचिव उसमें अपना कोई अभिमत, कोई निर्णय नहीं दे सकता। 45 दिनों के अंदर जनसुनवाई होनी थी। मैनेजमेंट ने 20.02.2016 को आवेदन प्रस्तुत किया जो प्रशासन को 23.02.2016 को प्राप्त हुआ इतने महिने बाद प्रक्रिया आरंभ की जा रही है, प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार है या भयभित है

क्या डर है कि कंपनी गोली मार देगी या नेता लोग प्रसाशनिक अधिकारी टरमिनेट कर देगें। सबसे अहम बात मै पीठासीन अधिकारी से कहना चाहता हूॅ कि कंपनी का मालिक संजय उसका सरनेम नहीं जानता हूॅ किसी परिचित व्यक्ति के साथ मेरे पास आया उसने कहा की महराज आपसे एक व्यक्ति मिलना चाहता है वो व्यक्ति बहुत हानि में है बैंको का ऋण बहुत ज्यादा है। मैने बोला आप पहले व्यक्ति में जो मुझसे मदद् मांगने आये है मैं मामुली सा आदमी आपकी क्या मदद् कर सकता हूॅ, मैं तो कानून का जहा उल्लंघन होता है उन बातों को शासन प्रशासन को बताता हूॅ मैं किसी कंपनी का मदद तब कर सकता हूॅ जब कंपनी अच्छा कार्य करेगी। पेड़–पौधे लगाये मैं श्रमदान कर सकता हूॅ मैं गरीब हूॅ 25 वर्षो से मेरे पास कोई काम नहीं है इसके अलावा उन्होने कहा की ये रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को जायेगी मैं मान्नीय उच्चतम न्यायालय को अवगत कराना चाहता हूॅ मैने कहा कि पूर्व में लोकसुनवाई निरस्त हुई तो पुलिस के आलाअधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है क्योंकि बल नहीं था तो बल कही से मंगाया जा सकता था वो भी अवैधानिक होता फरवरी में जो लोकसुनवाई होती वो भी अवैध था क्योंकि मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लोकसुनवाई हेतु 60 दिवस दिया गया था, वो तो 2014 में होना था अब तो 2017 आ गया। 3 वर्ष के बाद न केवल कंपनी प्रबंधन ने न कोई दिशा निर्देश प्राप्त किया और न ही केन्द्र सरकार ने, न ही राज्य सरकार ने ये दूखद विषय है इसलिये मैं जो आरोप लगा रहा हूॅ वह पुख्ता है इसमें बीच में संलिप्त जो अधिकारी है जो पैसे के दबाव में और राजनीतीक दबाव में अपने पद का दुरूपयोग, भष्टाचार में लिप्त है इसलिये अब जनसुनवाई असंवैधानिक है गैरकानूनी है प्रावधानों के विपरीत है मैं एक अलग बिन्दु पर आ जाता हूॅ कि चुनाव जैसी स्थितियां निर्मित होती जा रही है। उसी प्रकार से जनता को यहा लाया जा रहा है। एक तो संबंधित प्लांट के जो संबंधित ग्रामपंचायत है वहा नहीं करवा करके 2–3 किलोमीटर दूरी में करवाया जा रहा है और जो वाहन लगे हुये है ग्रामीणों को लाने में वो कंपनी के ही है ठीक है वो कंपनी के न भी हो, कंपनी उनका किराया करके उपयोग कर रही हो। अब इसमें वन पर्यावरण मंत्रालय को प्रक्रिया में संशोधन की आवश्यकता है, संशोधन की आवश्यकता यह है कि एक नाबालिक बच्ची अपनी सहमति या विरोध जो भी दर्ज कराना चाहे, जब वोट देने की पात्रता 18 या 21 वर्ष जो भी सरकार ने निर्धारित किया है तो जनसुनवाई के लिये भी एक मस्तिष्क से विकसित हो उसे ही अनुमति हो इसके लिये उम्र का निर्धारण आवश्यक है मान्नीय पर्यावरण अधिकारी महोदय से विशेष निवेदन कि वन पर्यावरण मंत्रालय संशोधन लाये। दूसरा इस कंपनी का विरोध करता हूॅ या समर्थन करता हूॅ यह कहने से नहीं चलेगा अगर मैं विरोध करता हूॅ तो उसका कारण भी बताउं और जिन्होने नहीं बताया वो विरोध या समर्थन दर्ज नहीं होना चाहिए। मान्नीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत यह जनसुनवाई हो रही है और मैं मान्नीय उच्चतम न्यायालय से भी सादर निवेदन करूंगा की इसमें आयुसीमा और विरोध और समर्थन का कारण विरोधकर्ता और समर्थनकर्ता के द्वारा बताया जाना अनिवार्य होना चाहिए। जनसुनवाई के लिये जो प्रावधान निर्धारित है उसमें ऐसा बेरिकेट्स लगाने का प्रावधान नहीं है। यह देश का पहला जिला है जहां हम एक कैदी बंदी की तरह अमानवीय ढंग से जनसुनवाई में अपना अभिमत दर्ज करवा रहे है इस जनसुनवाई से किसे खतरा है यहा जितनी जनता है उतनी ही पुलिस बल है, पुलिस के पास शस्त्र है उसे चलाने का अधिकार है तो फिर प्रशासन को ये कैसा अधिकार मिला हुआ है कि बेरिकेट्स लगाकर के दम घोटु स्थिति में जनसुनवाई करावाई जा रही है जनसुनवाई एक निर्भीक स्वतंत्र प्रक्रिया है ये जिसको पंचायत स्तर से लेकर के जिला स्तर, राज्य स्तर, केन्द्र स्तर पे कही पर भी देश का व्यक्ति अपना अभिमत, अपना पक्ष, अपना विपक्ष, समर्थन रखता है ये प्रावधान है। ये स्वस्थ्य रूप से निष्पादित होनी चाहिए, मान्नीय उच्चतम न्यायालय को जिन्होने 2 माह के अंदर इस जनसुनवाई को संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी थी और इस जनसुनवाई की रिपोर्ट वहा तक पहुचनी है उनसे और केन्द्री वन पर्यावरण मंत्रालय से मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि जनसुनवाई के प्रावधानों में सुधार होनी चाहिए अगर प्रासंगिक रूप से, प्रायोगिक रूप से 45 दिन के अंदर कंपनी, जो प्रावधान, जो जनसुनवाई का प्रावधान है 45 दिनों के अंदर जनसुनवाई कराने का प्रावधान है और अप्रासंगिक है इसमें तकनीकी खामिया है तो उसको 45 माह किया जाये या उसको और समय दिया जाये ताकि कानून का उल्लंघन न हो, क्योंकि अगर 45 दिवस के अंदर नहीं होता है तो वो कानून का उल्लंघन है और ये बाते केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय को संशोधन के रूप में, और राज्य सरकार भी संशोधन के रूप में लावे ताकि जनसुनवाई

निर्विघ्न कानून के दायरे में हो, जो आज के सारे अधिकारी है मेरी इन बातो को समझते हुये भी नहीं समझना चाह रहे है तो मै यह निश्चित रूप से मानता हूँ कि जो आज के प्रिसाईडिंग आफिसर है वो उच्चतम न्यायालय से महान है क्योंकि वे न्यायायिक पद पर है उन्हे न्याय का ज्ञान है, शासन का ज्ञान है, दो–दो पद पर है। और जानबुझकर वो मान्नीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रही है तो वो उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश को भी अपमानित कर रही है। उच्चतम न्यायालय को जानबुझकर के वो अपमानित कर रही है, उल्लंघन कर रही है जो अवमानना की श्रेणी में है और इस अपराध के लिये आज इस जनसुनवाई में जितने विरोधी लोग है जो जनसुनवाई को नीतिगत नहीं हो रहा है वो जाये और जो इस सुनियोजित षड़यंत्र में शामिल है उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाये और इस जनसुनवाई को अवैध घोषित करने के लिये प्रावधान में आगे की कार्यवाही करे मेरा ये उन सबसे निवेदन है आगे के क्रम में मैं यह बताना चाहुंगा की यह जनसुनवाई के लिये जो ई.आई.ए. रिपोर्ट बना है उस पर शायद मेरे को भी कन्फ्यूजन है मैं थोड़ा पढ़ने–लिखने में ध्यान कम है ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता तो क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी महोदय से मैं जानना चाहुंगा की ये 3 वर्ष या 4 वर्ष कितना वर्ष पुराना ये ई.आई.ए. रिपोर्ट है क्या ये वैध है, क्या ये 3 वर्ष या 4 वर्ष पहले यहा का वातावरण वैसे ही था, यहा का टेम्प्रेचर वैसे ही था। यहा का ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं अन्य प्रदूषण का मापदण्ड उतना ही था ये भी चीज था अगर नहीं था तो वर्तमान की जनसुनवाई के लिये फिर से पर्यावरण का आंकलन ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार होना चाहिए प्रावधान में क्या है यह मैं नहीं जानता। प्रावधान में क्या है यह हमारे शर्मा साहब जान रहे होंगे। एक विशेष बात और ऐसे जनसुनवाई में हमारे प्रशासनिक अधिकारी आते है, हमारे पुलिस के अधिकारी आते है, वो भी पब्लिक है, अपना कर्तव्य अलग है, अपने विभाग का कर्तव्य अलग है लेकिन पर्यावरण के संतुलन के लिये सभी का अभिमत भी जरूरी है। जैसे वोट देने का अधिकार सभी को है वैसे ही जनसुनवाई के मामलों में अपना पक्ष विपक्ष अधिकार भी सबको है और ये इनका नैतिक कर्तव्य भी है। मान्नीय पीठासीन अधिकारी महोदया, पुलिस के अधिकारी, पत्रकार, सम्मानित साथी और जो भी शासन प्रशासन के लोग है उनको भी जनसुनवाई में अभिमत लिखना चाहिए। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को मैं एक विशेष संदेश देना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि जो प्रिसाईडिंग आफिसर होते है वो कुछ लिखते है अब मैं कई रिपोर्ट देखा लेकिन मैने कही ऐसा अभिमत लिखते नहीं पाया। पर्यावरण जनसुनवाई के संबंध में अब तक जितने संशोधित प्रावधान आये है उनपर मंथन होना चाहिए और सार्वजनिक तौर पर भी जनसुनवाई, अभी तक जो कंपनिया ये दावा करती है कि जो क्षेत्र के विकास के लिये, बेरोजगारो को रोजगार, इस स्केनिया कंपनी ने ऐसा कोई रिपोर्ट जारी नहीं किया है उन्होने ई.आई.ए. रिपोर्ट में सिर्फ ऐसा बताया है कि इतने लोगो को प्लांट में रखा जायेगा। स्थाई रूप से, परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से परन्तु विस्तार की प्रक्रिया में क्या प्रावधान होनी चाहिए कि अब तक कितने व्यक्ति कंपनी में सीधे रूप से कार्यरत है और विस्तार के पश्चात् परोक्ष रूप से कितने लोगो को रोजगार मिल सकता है, या मिलेगा और अब तक जितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है वो क्षेत्रीय व्यक्ति है। यह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है जिसमें मान्नीय राष्ट्रपति के अनुमति के बिना किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में जो भी निर्णय लेना है वो महामहिम राष्ट्रपति, उनके ऑन बि हाफ प्रदेश में राज्यपाल महोदय लेंगे, परन्तु यह दुर्भाग्य का विषय है छत्तीगसढ़ में अब तक जितनी कंपनिया स्थापित हुई है अनुसूचित क्षेत्रों में कभी भी मान्नीय राष्ट्रपति महोदय से अनुमति नहीं लिया गया और इस विस्तार के लिये भी जो प्रक्रिया है इसमें राज्यपाल महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति जी से अनुमति नहीं लिया गया है, जो की पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, अगर अनुसूचित क्षेत्र का प्रावधान संविधान में निहित है तो उसका पालन भी होना चाहिए और अगर नहीं हो रहा है तो यह संविधान का उल्लंघन है वह संविधान जिसके निहितार्थ देश के सभी कानून बने है उसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। मान्नीय प्रिसाईडिंग आफिसर महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि उच्चतम न्यायालय से भी ज्यादा जिसके पास सर्वोच्च शक्ति है वो है हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय, वो अंतिम न्यायधीश है जो उच्चतम न्यायालय के फैसले के ऊपर भी वो फैसले देते है ऐसी स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र में जनसुनवाई असंवैधानीक तरीके से आप जो करवा रहे है उसके आप सब अपराधी है। मेरी इस आपत्ती के पश्चात् मैं पुनः मान्नीय एडिशनल कलेक्टर महोदया से सादर अपेक्षा करूंगा कि वो न्यायपालिका सर्वोच्च है और वो न्यायायिक पद पर है और मेरा निवेदन मानते हुये जनसुनवाई को यही पर

मान्नीय उच्चतम न्यायालय का हवाला देते हुये इसको स्थगित कर दे। मैं यह भी बताना चाहुंगा की छत्तीसगढ़ में कई दर्जन जनसुनवाई को ऐसे स्थल में स्थगित किया गया है यहा मेरे पत्रकार साथी है मैं झुठ नहीं बोल रहा हूँ हमारे शर्मा साहब भी, उनकी भी पोस्टिंग एक बार नहीं दो, तीन बार हो चुकी है, और जिला दण्डाधिकारी महोदय यही निर्णय ले लेते है, तो मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा, आप महिला है और कानून का सम्मान करते हुये, मान्नीय उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते हुये, मान्नीय राष्ट्रपति का सम्मान करते हुये, आप कानून का परिपालन करते हुये इस असंवैधानिक जनसुनवाई को, गैर कानूनी रूप से जो यह जनसुनवाई संचालित हो रही है इसे तुरंत स्थगित करें। अन्यथा इस अपराध के प्रमुख भागी होंगे। वन्देमातरम, जयभारत, जय छत्तीसगढ़।

180. अखिल कुमार शर्मा, समारूमा – मेरे गांव के ढेड कि.मी. में प्लांट स्थित है जिसके हम भुक्तभोगी है हम सहते है रायगढ़ वाले क्यो बोलते है। प्लांट में जाकर कोई कुछ नहीं बोलते यहां आ के सबबोलते है। कंपनी से हम संतुष्ट है। मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
181. अनिल सिदार, गोढ़ी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
182. विकास सिदार, गोढ़ी, – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
183. ईश्वर भगत, तराईमाल – जनसुनवाई को नमस्ते करता हूँ। इघर देखिये रोड में आप भी आते हो जाते हो डस्ट पड़ा है जब ओव्हर टेक करता है तो धुल इतना उड़ता है कि सामने वाले को रास्ता नहीं दिखता है। पानी भरवाईये, लेबर को अच्छा पेमेंट दिलाईये, लेबर को चना दीजिए, लेबर को गुड़ दीजिए, सेप्टि दीजिए, मेडिकल दीजिए, सब प्लांट में पानी मरवाईये मैं कंपनी समर्थन करता हूँ।
184. श्याम, तराईमाल, – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
185. कृष्णा, मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
186. ज्गतराम, पंजीपथरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
187. सधुराम, पुंजीपथरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
188. नित्यानंद, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
189. भेगेलाल, पुंजीपथरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
190. सुधीर, – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
191. कृष्णा, झिंगोल, – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
192. फकीरा, पुंजीपथरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
193. ननो कुमार, पुंजीपथरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
194. जय, पुंजीपथरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
195. आशीष, – पुंजीपथरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
196. सोनु, पुंजीपथरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
197. आकास, पुंजीपथरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
198. धनीराम, पुंजीपथरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
199. राजेश, पुंजीपथरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
200. लोकनाथ, सलिहारी, पुंजीपथरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
201. फुलकुमार, समारूमा – पुंजीपथरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
202. भुनेश्वर, पुंजीपथरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
203. पंकज सिंह ठाकुर, समारूमा – स्केनिया प्लांट का मैं समर्थन करता हूँ स्केनिया प्लांट के आने से लगभग हमारे गांव के 30–35 गरीब परिवार का रोजगार चलता है इसलिये मैं स्केनिया प्लांट का समर्थन करता हूँ। फुलसिंह सिदर, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
204. गोकुल कुमार सिदार, गोढ़ी, – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
205. सुनिल कुमार सेठ, गोढ़ी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
206. अजित गुप्ता, तिलाईपाली, – इस कंपनी का मैं पूरी तरह से विरोध करने के लिए आया हूँ क्योंकि हमारे भी क्षेत्र में बहुत बड़ कंपनी खुल रहा है जो एन.टी.पी.सी. कोल माईन प्रोजेक्ट जो एसिया महाद्विप में सब से बड़े, भारत देश में दूसरा नंबर कोयला खदान होने वाला है इसलिए मैं कंपनी को विरोध करना चाहता हूँ

कंपनी बड़े–बड़े वादे करते है लेकिन कोई भी वादा पुरा नहीं करते है बोलते है नौकरी देंगे, आपको काम मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, आपको रहने के लिए धर को आवास मिलेगा लेकिन कुछ नहीं करते है कंपनी वाले याद रखना मै यहा के जनता को यह बताना चाहता हूँ, सभी से कहना चाहता की कंपनी का पुरा विरोध करो।

207. सुकांति, तराईमाल – कंपनी कुछ नहीं देती है। घर दे, पैसा दे, और बुढी हो गई हूँ।
208. शिव कुमार, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
209. बंशी, पुंजीपथरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
210. शिव, – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
211. इंद्रजीत, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
212. विकास, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
213. मनीराम, आमाघाट – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
214. दिनेश, – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
215. छत्तर, पुंजीपथरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
216. लालसिंह, गोढ़ी, – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
217. राकेश कुमार – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
218. विजय, पुंजीपथरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
219. घसियाराम, पुंजीपथ्रा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
220. विजय, झिंगोल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
221. प्रमोद, झिगोल, – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
222. धरनीधर, झिंगोल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
223. पलेश्वर, समारूमा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
224. सुर्या, आमाघाट – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
225. जगतराम, झिगोंल, – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
226. सुरज, पुंजीपथरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
227. विजय, विजयपुर – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
228. दिलेश्वर, विजयपुर – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
229. सालिकराम, पुंजीपथरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
230. मो. असलम – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
231. जीतेंन्द्र, – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
232. रवि, उज्जवलपुर – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
233. अर्जुन, उज्जवलपुर – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
234. रंजन निषाद, उज्जवलपुर – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
    झुलांबर गुप्ता – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
235. बाबा सिदार, सारंगढ़ – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
236. प्रफुल्ल, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
237. चैतनराम, झिगोल – काम मिले। – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
238. संतोष राठिया, झिंगोल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
239. नरसिंग मालाकर, तराईमाल – इस कंपनी को मै अनुरोध करता हूँ कि जितने भी बेराजगार है उनको योग्यता अनुसार रोजगार दिया जाये, ताकि उनका भरण पोषण हो, उनका बाल–बच्चा सुखी हो, वादा तो करते है लेकिन फैक्ट्री वाले वादा को नहीं निभाते है। इसलिये मैं बार–बार स्केनिया प्लांट को निवेदन कर रहा हूँ जैसे भी अपने ग्राम क्षेत्र आमाघाट पंचायत, झिगोल पंचायत, तराईमाल पंचायत, सामारूमा पंचायत जितने भी लोग है उन सब को योग्यता अनुसार रोजगार दिया जाये और जो डस्ट पाल्युशन उड़ता है उनपर पानी की सिचाई करे और गांव को चंदा, जो भी जाते है ग्रामवासी लोग चंदा के लिए बहुत काटते है कभी दूर्गा पूजा का चंदा, कभी और बंजारी माता का पूजा, जिस तरह हमारे बंजारी मंदिर में जो आज

इतना बड़ा भव्य आयोजन कर रहे है, जब जाते है तो बाद में आ जाना अभी साहब नहीं है, अभी मैनेजर नहीं है इस तरह से धुत्कारते है लेकिन गांववासी कौन है, जनता कौन है नहीं देखते है। अभी तो उनका सटका हुआ है, उसको पार करना है पार होने के बाद सब भुल जाते है लेकिन ये कभी मत भुले और अपने ग्रामवासी और क्षेत्रवासी को देखे। उनके योग्यता अनुसार रोजगार दिया जाये ताकि हम आगे बड़े और उनका हम काम करे मैं पूर्ण रूप से स्केनिया प्लांट को समर्थन करता हूँ।

240. गंगाधर, सराईपाली – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
241. दुर्जनसिंह, – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
242. दयाराम, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
243. रामप्रसाद, अमाघाट – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
244. छोटुवा, बंजारी – मैं कंपनी कर समर्थन करता हूँ।
245. मेधोराम, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
246. मंगलसिंह, पुंजीपथरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
247. गोंविद, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
248. सोमेस, गोढ़ी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
249. रतिराम, तराईमाल, – तलाब सुखा है पानी भरना है।
250. सुखसाय, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
251. बरतराम, पुंजीपथरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
252. घनश्याम, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
253. सविता रथ, जन चेतना मंच, रायगढ़ – यह पहली बार हुआ है कि मैं किसी जनसुनवाई में लिखित डाक्युमेंट इसलिये नहीं लाई हूँ क्यों कि यह जनसुनवाई वास्तव में होना ही नहीं चाहिए। इस जनसुनवाई को कराना अपने आप में अचरज की बात है। जिला प्रसासन का लापरवाही मानिये चाहे राज्य सरकार का यह जनसुनवाई का कोई महत्व नहीं रहता। दूसरा मेरा बड़ा आपत्ति है कि मैडम यदि आप ध्यान दे पर्यावरण अधिकारी ध्यान दे एक तरफ हम लोग जनुसनवाई में 48 डिग्री तापमान में अपनी बारी आने का इंतजार करते हुये लाईन में खड़े है जिला प्रशासन का सहयोग कर रहे है ताकि किसी प्रकार का अप्रिय घटना न हो इसके साथ ही साथ यह अचरज का बात है कि जिस कंपनी ने आवेदन किया है जिस कंपनी ने प्रभावित समुदाय से, जिला प्रशासन से राय मांगा है उनको जाली में कुलर में गणेश प्रतिमा की तरह बैठाये है क्या जरूरत है जिला प्रशासन को किस पद का अहसान है, क्या अहसान है उद्योगों का। वो क्यों जाली से बाहर आकर नहीं बैठते इस जाली की व्यवस्था केवल जिला प्रशासन के लिये, मीडिया के लिये एवं जनसुनवाई कराने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी गणों के लिये हाना चाहिए। आवेदनकर्ता को आप इस तरह से सहयोग कर रहे है, मेरा अनुरोध है कि तत्काल उन्हे बाहर निकाले मेरा पहला मांग है कुलर बंद करिये तत्काल उन्हे बाहर निकालिये उनकी अपनी जगह है इतना बेरिकेट आपने जनसुनवाई में लगाया है ये जनता का आश्वासन है कि उनपर कोई हमला नहीं होगा अभी तक रायगढ़ में जितना भी जनसुनवाई हुआ है उसमें कंपनी प्रबंधन पर कोई हमला नहीं हुआ है। यह रायगढ़ के सहनशीलता का इतिहास है इसलिये तत्काल महोदय इन्हे बाहर निकालिये हम अपनी राय देने आये है हम 48 डिग्री में बाहर खड़े है जिला प्रशासन क्यों उन्हे कूलर में बैठा कर रखा है उनको देखकर ही लोगों की मानसीकता बदल रही है अच्छा ये भी अधिकारी होंगे, जिला प्रशासन में इनका बहुत ताकत होगा हम यदी समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे इसका कोई महत्व नहीं रह जाता क्योंकि जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर, जिला पर्यावरण अधिकारी राज्य शासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठा हुआ है, बाहर निकालिये तत्काल बाहर निकालिये मेरी दो चीजो में आपत्ति है पहला जो आपने पर्यावरणीय जनसुनवाई आयोजित की है यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप यह जनसुनवाई नहीं करा सकते क्योंकि आवेदन के 45 दिन के बाद यह जनसुनवाई करा रहे है। मैडम इसमें दो चीजे है एक पर्यावरणीय समीक्षा दूसरा है सामाजिक समीक्षा, जिसको कहा जाता है ई.आई.ए. बनाना तथा दूसरे को एस.आई.ए. बनाना। ई.आई.ए. में इन्होने जो इन्वायरमेंट इम्पेक्ट एसेशमेंट दिया है उसके बारे में मैं अपनी बात रखुंगी। दूसरी बड़ी बात जो मैं रखना चाहती हूँ वो है सोशल इम्पेक्ट ऐसेशमेंट रिपोर्ट समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके लिये क्या उन्होने किसी निजी स्वतंत्र एजेंसी से

अध्ययन कराया है, जनसुनवाई से पहले क्या आपने एस.आई.ए. रिपोर्ट बनवाई है अगर बनाई है तो कृपया तत्काल बाहर बहस के लिये आये। आपने बिना कोई एस.आई.ए. रिपोर्ट बनाये बिना किसी लोगो के लोकसुनवाई के मुद्दो को रखे बिना स्थानीय समाचार पत्र में दिये बिना, बिना किसी मुनादी के आप लोगो ने यहा के वन संरक्षक के रिपोर्ट के बिना यह जनसुनवाई आयोजित कर रहे है और लगातार अपने हक से जनसुनवाई को आयोजित करा रहे है जो वास्तव में कोर्ट जाने लायक है और कंपनी को पार्टी बनाने लायक है दूसरा बड़ा चीज है जो उनको करना चाहिए था क्या इन्होने बायोमानिटरिंग रिपोर्ट लिखा है क्या जिला प्रशासन को कोई दिया है क्या। क्या समुदाय के सामने सार्वजनिक किया है। उन्होने यहा के आस–पास के मरकरी, लेड, आर्सेनिक, निकल में कोई जॉच रिपोर्ट वैज्ञानिक तरीके से लेबोरेटरी में यहा के मिट्टी, हवा, पानी का कोई जांच रिपोर्ट निकाला है क्या। इतनी मात्रा में प्रदूषण जा चुकी है इन्हे किस आधार पर अनुमति दी गई है। दूसरा पहला चिज जो मैं आपके सामने बता रही हूँ आपके यहा पर काई फ्लाई ऐश डाईक नहीं है। ये नोट किया जाये इनका अपना कोई फ्लाई ऐश डाईक नहीं है यह बिना फ्लाई ऐश डाईक के 10–15 साल कंपनी चला रहे है जिला प्रशासन ने केलो डेम के रूप में फ्लाई ऐश डेम बना के दे चुके है इनके द्वारा जगह–जगह जंगलो में, केलो नदी में फ्लाई ऐश डाला जा रहा है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस लगा हुआ है और इसके बाद उन्हे किसी किसम का कोई परमिशन या इनके लिये कोई जनसुनवाई कराना जनता को और जिला प्रशासन को लोगो को परेशान करना कोई तुक नहीं लगता। तीसरी बड़ी चिज जो मैं आपको बता दूँ कि पर्यावरण विभाग जिला रायगढ़ में कोई बड़ा लेबोरेटरी नहीं है, कोई बड़ा इस विषय का विशेषज्ञ, वैज्ञानिक नहीं है। जो जनसुनवाई से पहले कोई बड़ा अध्ययन करके यहां के वाटर पाल्युशन, एयर पाल्युशन, मड पाल्युशन यहां के पौधो, जीव जन्तुओं पर अध्ययन रिपोर्ट करें तो किस आधार पर इनका जनुसनवाई और किस आधार पर इनका समर्थन। पहले ये रिपोर्ट आनी चाहिए कि उनके पास ऐसी कोई विभागीय व्यवस्था नहीं है, न सरकार ने जानना चाहा है, न उद्योगो के रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते है, यहां तक मैं एक बात और बता दूँ यहा के पानी में, यहा के लोगो में जनसुनवाई के पहले कोई हेल्थ सर्वे नही किया गया यदि आज के तारीख में जनसुनवाई होती है तो सबसे खतरनाक बात होगा। यहां के जो लोग है पहले से विस्थापित है, यहां जो प्रदूषण है उसके कारण पानी में सिलिकोसीस फ्लोरोईड की मात्रा बड़ चुकी है इसके बाद किसी अन्य उद्योग को खासकर जिसका पहले से ही कोर्ट में केस लंबित है उसको सूप्रीम कोर्ट से लताड़ मिली हो राज्य शासन को यह आर्डर मिला हो कि बंद लिफाफे में जॉच कर रिपोर्ट दी जावे। दूसरा बड़ा चीज है यहा के छतो के फेफड़ो के शक्ति का जॉच नहीं किया गया है तीसरी बड़ी बात इन्होने जो ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसमें जिंदल इंजिनयरींग कॉलेज को क्यों नही दर्शाया है, वहा कितने बच्चे पड़ते है क्यों नहीं बताया गया है। 20 आंगनबाड़ी में जो छोटे–छोटे बच्चे है जो यहां आकर यहा अपनी बात नहीं रख पा रहे है उन आंगनबाड़ी के बारे में कोई स्टडी किया है क्या इन्होने, उनका हेल्थ सर्वे कि है क्या, यहां 10 प्राथमिक शालाओ, 6 माध्यमिक शालाओं के बच्चो के बारे में कोई अध्ययन किया है क्या यहा के हाई स्कूल, तालाब, जानवरो पर दूध पर, सब्जियों पर, यहां के हालातो पर कोई भी वैज्ञानिक पर्यावरणीय अध्ययन नहीं होना जनसुनवाई को आनन–फानन में आयोजित करना अपने आप में अचरज की बात है और आप को मैं बता दूँ कि उद्योग प्रबंधन पहले यह देख ले कि न्यू स्टेन्डर्ड फार थर्मल पॉवर प्लांट के लिये एम.ओ.यू. को पहले पढ़े उसके बाद मै आपको बता दूँ कि 31 दिसम्बर 2003 का टी.पी.पी. एक्ट को पहले पढ़े कि क्या–क्या आपको नियम होना चाहिए किस आधार पर इनको देने होंगे। तीसरी बड़ी चीज अभी तक रायगढ़ जिले में स्थापित उद्योगो में पर्यावरणीय डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाया है न ही आपके मेसर्स स्केनिया ने लगाया है कि इनका कोई भी केलिबेशन रिजल्ट दिखाया जा सके। इनको कोई पर्यावरणीय प्रदूषण के माप का रिकार्ड न सरकार के पास है न कोई बोर्ड लगवा पाया है। कही भी पब्लिक डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगा है हम कैसे माने की इन्हे अलग तरीके से एन.ओ.सी. दे दिया जाये। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि इस पुरे क्षेत्र में प्रभावित है उनके ऊपर क्या नकारात्मक और क्या सकारात्मक असर होगा इसके लिये इन्होने कोई गणना खासकर के कोयला यातायात, शिक्षा, हेल्थ, खाद्य सूरक्षा इन किसी भी मुद्दो पर मेसर्स स्केनिया द्वारा कोई भी अध्ययन नहीं किया गया। इन्होने कोई कार्य नहीं किया केवल कूलर में बैठने के सिवाय जिला प्रशासन भी इन्हे कूलर में बैठा करके रखी है। तीसरी बड़ी बात जो मैं आपको बता दूँ सामाजिक प्रभाव जो

इसमें आना चाहिए था इसमें नहीं है बिना डाक्यूमेंट के इस लोकसुनवाई का कोई महत्व नहीं रह जाता। आपको बता दूँ मैं व्यक्तिगत सम्पत्ति, व्यवस्था, संस्कृति, जीवन पद्यति जो अपशिष्ट फेकेंगे उसका क्या जोखिम उठाना पड़ेगा स्थानीय महिलाओं को यहा के रोजगार को, यहां के युवाओं को, यहां के बच्चों को इसमें कोई अध्ययन रिपोर्ट नहीं लगया है, जो यह साबित करता है कि यह राज्य शासन को जो गलत एवं 420सी करते हुये रिपोर्ट बनाया गया है और उस आधार पर जनसुनवाई कराना मुश्किल है इसके बाद सामाजिक संस्कृति के बाद सामुहिक संबद्धता मैडम यह अनुसूचित क्षेत्र है यहा ग्रामसभा महत्वपुर्ण प्रभाव रखती है अनुसूचित क्षेत्र में आपने कितने ग्रामसभा से अनुमति लिया है पेसा कानून लागू होता है जिसका जनसुनवाई में पहली बार सीधा–सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। इसके बाद आपको बता दूँ कि पुरातात्विक स्थलों, अन्य सांस्कृतिक चिजो का भी पवित्र जो हमारे पूजा स्थल, देवल स्थल रहे है उनका भी उल्लेख किसी भी रिपोर्ट में नहीं है। तीसरी और अंतिम बात जो आपके एस.आई.ए. रिपोर्ट में होनी चाहिए कृषि वन भूमि, कुआं, तालाब, छोटे झील, नदी, जल स्त्रोत जो उनके फ्लाई ऐश से नाली बनकर खतम हो चुके है उन सबका डाटा होना चाहिए था। रही बात सामुहिक सम्पत्ति संसाधन में क्या होगा, एफ.आर.ए. में जो बात करते है वन अधिकार की बात जो हम करते है जो हमारा सामुहिक चारागाह है उसपर क्या असर होगा। दुकानो, बिल्डिंगो, व्यापारिक स्थलों जो बंजारी मंदिर के आस–पास स्थित है, आस–पास जो छोटे–छोटे दुकान है और उनके जो मालिक है उनके जीवन में क्या असर होगा, उनके सेहत में क्या असर होगा ऐसा कोई भी आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय लेबोरेटरी अध्ययन इस जनसुनवाई से पहले ना होना एक व्यापक कारण जनसुनवाई को बंद करना बनता है। मेरे पास डाटा मैं और मैं आपको एन.जी.टी. में लेकर जा रही हूँ। यदि यह जनसुनवाई मेरे बोलने के बाद जारी रहती है तो यकिन मानीये ये तमाम बिन्दु है जो आपको कोर्ट में जवाब देने होंगे। मेरे पास लेबोरेटरी टेस्ट है इसके अलावा मैं बार–बार आपसे अपील कर रही हूँ कि यह जनसुनवाई गलत है एक सलाहकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप सब से विनम्र निवेदन है कि इस जनसुनवाई का किसी भी किस्म का समर्थन न करते हुये तत्काल निरस्त करे। स्केनिया लिमिटेड अपनी बात कोर्ट में रखे हम कोर्ट में जवाब देंगे और जो उलटा–सीधा ई.आई.ए. है, और जो उनको इनवायरमेंट क्लियरेंश मिला है उसको टक्कर देने के लिये मैं काफी हूँ ऐसा मैं मानती हूँ आप सभी का धन्यवाद। मेरी आपत्ति दर्ज करीये इसके अलावा इस जनसुनवाई को दोबारा कराने से पहले इसको निरस्त कराकर ई.आई.ए., एस.आई.ए. पेसा एफ.आर.ए., खाद्य सुरक्षा यहा के जो पर्यावरणीय मुद्दे है, जंगल के मुद्दे है मुझसे पहले जो भी वक्ता बोल चुके है उन सभी का मान रखते हुये आप यह जनसुनवाई तत्काल निरस्त करे जब तक कि इन सारे पेपर कम्पलिट नहीं होंगे जनसुनवाई करना औचित्य नहीं रखता। धन्यवाद। जयहिन्द। जयभारत।

254. लखन सिदार, गोढ़ी – मैं इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।
255. संतोष निषाद, गोढ़ी – स्केनिया कंपनी को समर्थन करता हूँ।
256. नंदकुमार सिदार, सिलयारी – बेरोजगारो को रोजगार मिलें, पर्यावरण ठीक रखें। मैं इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।

    श्याम कुमार, तराईमाल – मैं स्केनिया कंपनी को समर्थन करता हूँ।
257. दशरथ, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
258. ईतवार, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
259. भागीरथी सोनी, पूंजीपथरा – मैं स्केनिया कंपनी को समर्थन करता हूँ।
260. करण कुमार, तराईमाल – मैं स्केनिया कंपनी को समर्थन करता हूँ।
261. खुशीराम, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
262. संतराम, सराईपाली – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
263. आकाश तिर्की, पूंजीपथरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।

    जीवन कुजूर, पूंजीपथरा – स्केनिया कंपनी को समर्थन करता हूँ।
264. रघुवीर पण्डा, अमलीडीह – मैं गॉव का गौटिया हूं, स्केनिया के लिए आया हूं, स्केनिया के आने से हमारे गांव की उन्नति होगी। ये जो विधायक है, नेता है, वे इसलिये लोक सुनवाई कर रहे है क्योकि इनकी झोली नहीं भरी है। हम गरीब है, फैक्ट्री के खुलने से हमें रोजगार चाहिए। जितने भी फैक्ट्री खुले है वे

रोजगार देते है। ये जो नेता है, जो विरोध करते है, उन्हे शर्म आनी चाहिए। कृपया हमारे रायगढ़ से जो अधिकारी आये है वे हमारी अमलीडिह में कोयले के परिवहन से जो प्रदूषण होता है उसे करें। हम उसका समर्थन करते है विरोध नहीं करते है हमारे घरघोड़ा में 84 गांव है जिसमें से 3 वन्य ग्राम है। मैं इतना कह कर जा रहा हूँ। मैं जो भी कहा हूँ उसका निराकरण होना चाहिए। कई भाई साहब इतना बोले उसको सुन लिये क्योकि उनका जेब नहीं भरा है।

265. गोपाल यादव, अमलीडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
266. बलराम राठिया, अमलीडीह – मैं फैक्ट्री को समर्थन करता हूं।
267. मनीराम, अमलीडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
268. अमनकुमार, अमलीडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
269. खेमसागर, अमलीडिह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
270. उदय, अमलीडिह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
271. गोर्बधन, अमलीडिह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
272. कैलाश यादव, अमलीडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
273. दिनदयाल, अमलीडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
274. प्यारीलाल प्रधान, अमलीडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
275. पुनम सिंह अमलीडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
276. गोटियाराम, अमलीडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
277. जितेन्द्र, अमलीडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
278. मुकेश, अमलीडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
279. प्रेम वैष्णव, समारूमा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
280. शंकर राठिया, अमलीडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
281. तिलक सिंह, सराईपाली – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
282. शनिराम, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
283. परदेशी, अमलीडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
284. रामानंद पासवान, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
285. प्रेमसिंह, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
286. दीपक, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
287. अरविंद कुमार, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
288. सुदामा, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
289. बेबी बाई, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
290. सेतमति, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
291. राधिका, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
292. प्रभादेवी,तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
293. रीतादेवी, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
294. चंचल देवी, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
295. चम्पा, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
296. सुकमति, समारूमा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
297. पेलु, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
298. मीना, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
299. मिली उरांव, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
300. सोनकुवंर, धनवारपारा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
301. लक्ष्मीप्रसाद, पूंजीपथरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
302. बीरबल पाल, पूंजीपथरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
303. वृंदावन, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।

304. मराथन, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।

305. राजेन्द्र कुमार, भारत देश – न मेरा कोई गांव है और न कोई है। गांव बताने से कुछ होता तो बहुत कुछ हो जाता। मैडम जी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हू कि मां का फर्ज होता हे कि बेटे का देख भाल करे उसे क्या चाहिए क्या नही चाहिए, वो रोता है तो क्यो रो रहा है उसे जानना चाहिए। ये मां का फर्ज होता है आप हमारी मां है क्योकि जिलाध्यक्ष है। आप कलेक्टर है, ये जो पुंजीपथरा में प्लांट आ रहा है उससे क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा। प्लांट से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर आंगनबाड़ी है। वहां छोटे छोटे बच्चे आते जाते है कोई एक ढेड का है कोई दो साल का है, ये मां का फर्ज है कि वे जाने उसका किस चीज से विकास होगा। ये जो जनता है इतना बोल रहे है इसके बोलने से कुछ नहीं होगा, आप जो लिख के देंगे वहीं होगा। ये जो नौटंकी हो रहा है इससे कुछ नहीं होने वाला। ये मां का फर्ज है कि आप अपने बच्चे को किस तरह से रखना चाहते हो ये आपकी सोच है आपकी अवधारणा है, आपकी मानसिंकता है। मै ऐसा नही है कि प्लांट का सहयोग नहीं करता मैं प्लांट का सहयोग करता हूँ। में किसी प्रलोभन से आया हूं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा अनुरोध है कि आप निरीक्षण कर दें कि यहां जो 40 प्लांट है उसका जो गंदा पानी है वो उसी डेम में जाता है जहां हम लोग नहाते है। दो दिन लाईट नहीं होता तो हम लोग मर जाते है, लेकिन उसी डेम में नहाते है, मैं आपसे बार–बार यही अनुरोध करता हूँ कि आप निरीक्षण कर ले कि आपके बच्चे को क्या फायदा है क्या नुकसान है। फिर उसके बाद निर्णय लें। यहां सभी कोई पैसे के लिये आये है यहां कोई ऐसा है क्या जो अपने पैसे से पैट्रोल डला कर आया है। अपनी जेब से नास्ता कर के आया है। आपसे अनुरोध है कि आप जाकर निरीक्षण कर लें। हम पूंजीपथरा के लोग जो दिन में शर्ट पेंट पहनते है उसे दुसरे दिन नहीं पहन पाते है। हम जहां रहते है वहां आयरन प्लांट है धुल धक्कड़ है। हमें क्या क्या नहीं हो सकता? हैजा हो सकता है, दमा हो सकता है, लेकिन इसका निरीक्षण नहीं किया जाता। केवल इसका निरीक्षण किया जाता है कि हम पुंजीपथरा में जाये यदि मैं गलत हूं तो मुझे पुंजीपथरा से बाहर निकाल दीजिये कोई दिक्कत नहीं है। अपने बच्चे के लिये सोचो 200 मीटर की दूरी पर शिशु मंदिर है वहां बच्चे लोग पढ़ाई करते है। यहां पचरी तक की सुविधा नही है। लाईट चला जाये तो नहाने तक की दिक्कत होती है। क्या करे पेट पालने के लिये आये है काम कर रहे है अच्छी बात है बेरोजगार भाईयों को काम मिल रहा है । ये जो दीदी है सही बोली कि आप उनको अंदर बिठा के रखे हो यदि जनता का परामर्श ले रहे हो तो उनके लिये सुविधा कयो नहीं किये हो यहां पंखे क्यो नहीं लगवाये है। हमें पंखे भी नहीं चाहिए। हम सबेरे से इसलिये आये है कि जन सुनवाई है। मैं पहली बार जन सुनवाई देख रहा हूँ कि ऐसा होता है। यदि ऐसा जन सुनवाई होता है तो धित्कार करता हूँ भारत देश को जहां गांधी जी, नेहरू जी पैदा हुए है जहां लड़ाई किये है, इसलिये नहीं लड़े है कि उनके छोटे बच्चे वहां जाकर धुल धक्कड़ खाये और स्केनिया वाले प्लांट लगाये। अच्छा है डेव्लपमेंट हो रोजगार मिले लेकिन कलेक्टर मैडम आप लिख कर दे सकती है क्या कि जिनकी जमीन गई है उनको रोजगार मिलेगा। क्या तलाब में पचरी का निर्माण हो सकता है आप हमे लिख के दे सकते है क्या? आप दे सकते है लेकिन देंगे नहीं, ये मां का अधिकार है फर्ज है। ये जो पुलिस वाले है हम सोचते है कि ये हमारे रक्षक है। हम इन्हे सलाम करते है क्योंकि इसके पास वर्दी है हथियार है। आज देश की ऐसी स्थिति हो गई है। मैं पुंजीपथरा के भाईयों से कहना चाहता हूँ कि मै जो कुछ कह रहा हूँ उनकी भलाई के लिये कर रहा हूँ। पूंजीपथरा में स्कूल खुलता है तो अच्छी बात है। स्कूल का डेव्हलपमेंट होता है तो अच्छी बात है। वहां तलाब का निर्माण होता है तो अच्छी बात है। लेकिन वहां पचरी का निर्माण है क्या? डैम में नहाने जाते है तो वहां 40 प्लांटो का गंदा पानी आता है। वहां कोई स्टील प्लांट लगा हुआ है यहां बैठते है तो मिनरल वाटर पीने को मिलता है छना हुआ पानी मिलता है। लेकिन हम ऐसे पानी उपयोग करते है जो बाथरूम का है। क्यो कि हम बेरोजगार है गरीब है। मैं कलेक्टर महोदय आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपको पद मिला है आपको अधिकार मिला है। तो आप यह भी देखे कि आपके बच्चे कैसे रहते है। न वहां स्कूल, रोड़ की व्यवस्था है। वहां जाकर निरीक्षण कर लें। अच्छी बात है यहां प्लांट लगे, बेरोजगारो को रोजगार मिले, मैं 25 साल का हूँ लेकिन देख रहा हूँ कि हमारे देश के 25 टुकड़े हो गये है।इसलिये कि जो उचें पद में बैठे है उन्ही लोग कर रहे है, ये जो लोग रायगढ़ से आये है वो अपनी जेब से पेट्रोल भरा के आये है लोकसुनवाई यह होता है कि जनता अपने विचारो को सामने रखे। आज लोग भीये नहीं सोचता कि मेरे गांव में नाली नहीं है गांव

में गंदगी है डैम में गंदा पानी जा रहा है। बच्चे के पढ़ने के लिये स्कूल नहीं है। तो उसका भविष्य नहीं है। आप अपने लिये सोचोगे तो बच्चे के लिये कब सोचोगे। मै आदरणीय मैंडम से बार बार निवेदन करता हूँ कि वे जाकर निरीक्षण कर लें। यहां इतना भीड जुटाने से कुछ नहीं होगा। आप जो लिखेंगें वहीं होगा। आप जाकर निरीक्षण कर ले। इतना कहकर मैं अपनी वाड़ी को विराम देता हूँ।

306. सुरेश सिंह, सराईपाली – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
सुदर्शन राठिया, बड़गांव – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
307. सियाराम, घरघोड़ा – – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
नंदलाल राठिया, देवरी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
308. भुनेश्वर यादव, गदगांव – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
309. चिंतामणी भगत, तराईमाल – जिला प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन ला ये कहना है वहा के बेरोजगार मन ला रोजगार दे कंपनी, बड़ीया से कमाही खाही त तो अच्छा से रही कामे नी दिही ता आदमी का करही लड़ही, मरही, ओला मारही इ चलही ता मोर सिर्फ इ दरख्वास हे जिला प्रशासन ले अउ फैक्ट्री प्रबंधन ले अगर युवा मन बेरोजगार हे ता ओला रोजगार दे। बस इ बोलना चाहत हो मे आउ इ बोल के मे कंपनी के समर्थन करत हो।
310. शिव चरण सिदार, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
311. अरूण कुमार, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
312. प्रेमलाल, सिलयारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
313. ब्रम्हा, सिलयारी – काम दे – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
314. नरेश, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
315. फुलसाय एक्का, तराईमाल – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
316. रमेश अग्रवाल, जन चेतना रायगढ़ – सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूँ मैं यह जनसुनवाई अमानवीय परिस्थतियों में कराई जा रही है। सम्मान जनक तरीका तो बिलकुल भी नहीं है। वक्ताओं के बैठने के लिये न तो कुर्सी है , न पंखा है, न पीने के लिये पानी है, और सबसे दुखःद बात यह है कि मेरे जैसे विकलांग व्यक्ति के लिये बैठने की व्यवस्था नहीं है मैं 3 घंटे से यहां आ रखा हूँ और लाईन में लगकर अब मेंरी बारी आ रही है। सरकार तो वैसे हर विभाग में विकलांगों के लिये व्यवस्था करती है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है इस जन सुनवाई में जो कि एक प्रसाशनिक कार्यक्रम है ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप व्यक्तिगत् मत लिजीएगा मैं चाहता हू की मेरी बात मिनिस्ट्री तक जाये और कुछ निर्देश दे। उद्योग प्रतिनिधि बाहर आये और जवाब दें। ये मेरा अधिकार है। उद्योग प्रतिनिधि को बुलाया जाये और मेरे सवालो का जवाब दिया जाये। मोनेट की जनसुनवाई में मुझे अवसर दिया गया है कंपनी प्रतिनिधि से बात का जवाब दें। उन्होने पूछा जिस समय ई.आई.ए. रिपोर्ट बनी उस समय कितने किल्न चालु थी, उद्योग प्रतिनिधि द्वारा बताया गया 2 किल्न चालु थी। रमेश अग्रवाल द्वारा कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण मंडल के निरीक्षण रिपोर्ट में 1, 2 से 3 एवं 4 किल्न चालु होना बताया गया है। और आप बोल रहे है कि 2 किल्न चालु थी। इन्वायरमेंट इम्पेक्स एसिसमेंट के समय एक स्टेशन आपके उद्योग में स्थापित था। तो चारो किल्न चालु रहने से पालुशन लोड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। विस्तार की क्यो आवश्यकता हुई? ए. के. सिन्हा प्लांट प्रंबंधन ने बताया कि उद्योग खुद जाती है भारत सरकार के पास विस्तार के लिये। कंपनी की आगे की 5 साल की योजना होती है जिसके तहत् वह विस्तार करती है। रमेश अग्रवाल ने कहा कि मान लीजिए मेरी क्षमता 100 टीपीडी है और 20 टीपीडी भी उत्पादन नहीं कर पा रहा हूँ फिर मैं विस्तार क्यों करूंगा ? ए. के. सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछले 2 साल में कई फेरो एलायज प्लांट बंद हो गये लेकिन आज वे अपनी क्षमता का 10 गुना विस्तार कर रहे है। क्यो कर रहे है उनसे कम्पेयर करने का अधिकार मुझे नहीं है। अगर विस्तार करती है तो भारत सरकार उन्हे अनुमति देती है। रमेश अग्रवाल ने कहा कि कंपनी अपनी कुल उत्पादन क्षमता का 33 प्रतिशत् विगत 10 वर्षो में भी उत्पादन नहीं कर पा रही है। मैं आपको आंकड़े देता हूँ 2011–12 – 11564 टन , 2012–13 – 12397 टन, 2013–14 – 15546 टन, 2014–15 – 31458 टन, 2015–16 – 35751 टन टोटल हम एव्हरेज निकाल ले तो कंपनी का उत्पादन 33 प्रतिशत् से ज्यादा नहीं होगा, तो और 66000 टन प्रति वर्ष का विस्तार क्यों कर रहे है मुझे

नहीं लगता की यह जायज है। दो ही कारण हो सकते है इसके 1. कंपनी ने प्रोडक्शन तो पुरा किया लेकिन एक नंबर में टेक्स चुराने की नियत से नहीं दिखायां। 2. प्रोडक्शन नहीं हुआ फिर भी विस्तार करना चाहते है। एक प्रश्न और आपने 3 महीने तक स्टडी किया, आप राबो तक गए, सारा कुछ गिनती कर लिया आपने, आपने सांप बिच्छु सभी जीव की गिनती कर दी। सर ये सभी जगह हाथी प्रभावित क्षेत्र की बोर्ड लगे है उचे उचे मचान बने है पर आपको एक भी हाथी नही मिला? ए.के. सिन्हा ने कहा कि ये बात हम शुरू से सुन रहे है एलीफेन्ट कॉरीडोरी की बात। रमेश अग्रवाल ने कहा कि मैं एलीफेंन्ट कारीडोर की नहीं हाथी प्रभावित क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। फारेस्ट डिपार्टमेंट ने हाथी प्रभावितों को काफी पैसा बांटा है। ए के सिन्हा ने कहा कि यह ड्राफ्ट ई.आई. ए. रिपोर्ट अधिसूचना के अनुसार ही बनाई गई है। फाईनल ई. आइ.ए. रिपोर्ट में आप सभी की बातो को सम्मलित किया जायेगा। उन ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट में कुछ कमी हो सकती है। फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट मिनिस्ट्री में आंनलाईन सब्मिट होती है।ये पब्लिक डाकुमेंट होगा । इसका पब्लिक असेस होगा। उसमें भी आपका भी असेस होगा। रमेश अग्रवाल ने पुछा कि आपने ई.आई.ए. में लिखा है कोयला में 26 प्रतिशत एश कन्टेंट लिखा हुआ है जबकि जबकि लगभग 40 प्रतिशत होना चाहिए। जवाब में ए के सिन्हा ने कहा कि डी.आर.आई. में 26 प्रतिशत् एश कन्टेंट वाले कोयला की आवश्यकता होती है एवं पॉवर प्लांट में 40 प्रतिशत् एश कंटेंट वाले कोयला की आवश्यकता होती है। रमेश अग्रवाल ने पुछा कि यह कोयला रायगढ़ के आस पास किस खदान से मिलेगा। ए.के. सिन्हा ने बताया कि प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट बता देंगें। रमेश अग्रवाल ने पूछा कि पानी की परमिशन ली गई क्या? ए के सिन्हा ने बताया कि उन्हे सी.जी.डब्ल्यू.ए. से परमिशन मिली हुई है। श्री रमेश अग्रवाल ने कहा कि आपको छ.ग. शासन से वेलिड परमिशन नहीं मिली है। ए के सिन्हा ने कहा कि हम उसके लिये कार्यवाही कर रहे है। रमेश अग्रवाल ने पूछा कि डोलोचार जो निकलता है बहुत हजारडस है इसे कहा डिस्पोज कर रहे है? रमेश अग्रवाल ने पूछा कि स्टडी पिरियेड में डोलोचार कहा उपयोग किया गया है? ए के सिन्हा ने कहा कि ई.आई.ए. रिपोर्ट में लिखा है ये केप्टिव पॉवर प्लांट लगा रहे है, जिसमें डोलोचार उपयोग होगा। 2 किल्न 200 टन की क्षमता तक ये चला सकते थे। एक्सपॉनसन में इन्हे केप्टिव पॉवर प्लांट लगाना होगा। डब्ल्यू एच आर बी भी लगेगा। रमेश अग्रवाल ने कहा यह मेंडटरी है, कंपनी 2005 से चल रही है 2017 तक नहीं लगा हो सकता है 5 साल और नहीं लगेगा। तो क्या कंपनी को अन्दर और बाहर डम्प करने की अनुमति दे देनी चाहिए। कंपनी के अन्दर और बाहर डोलोचार का पहाड़ लगा हुआ है। हमारे पास विडियो फोटो ग्राफ सब है। दुसरी बात मैं कहना चाहता हूँ पूंजीपथरा थाना जो इनसे लगा हुआ है उनके पुलिस वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों से हम मिले उन्होने ने बताया कि जब थूकते है सफेद की जगह काला कफ निकलता है। सुबह की ड्रेस शाम तक काली हो जाती है। अधिकारी कहते है कि ये तुमने कैसी ड्रेस पहनी है, तुम्हारी ड्रेस खाकी है। हमने व्यक्तिगत् थाने में जाकर विचार पूछे और ठीक थाने के बगल से जो गली गई है वहां ये एफ्यूलेंट डिस्चार्ज करते है। तीसरा सर मैं यह बताना चाहता हूं कि यह ई.आई.ए. रिपोर्ट कट एण्ड पेस्ट है। पैरा नं. 3.113 डिस्क्रीप्शन आफ स्टडी एरिया उसमें लिखा है रायगढ़ डिस्ट्रीक जो बेस्ट बंगाल में आता है वहा पर ं फैक्ट्री लग रहा है। अब मुझे नहीं मालूम कि रायगढ़ (छ.ग.) कब से बंगाल में चला गया या वेस्ट बंगाल के रायगढ़ में फैक्ट्री लग रही है, मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है कि भूल से दूसरी ई.आई.ए. बना रहे थे, उसमें से ये कुछ छूट गया। 99 प्रतिशत् ई.आई.ए. में कट पेस्ट होता है। रमेश अग्रवाल ने कहा इन्होने जो ट्रेफिक की स्टडी की है पूंजीपथरा प्लांट के पास भारी वाहनों का आवागमन कितना होता है। रायगढ़ में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते है। इन्होने अपने प्लांट के पास तो कर लिया अगर उससे आगे चलेंगे तो तमनार रोड आकर मिलती है और तमनार में 7–8 कोल माईन्स हैं, पॉवर प्लांट है। उनका ट्रेफिक भी उसी रास्ते से, बंजारी के रास्ते से आता है, लेकिन उस पाईंट से नहीं जहां इनकी फैक्ट्री है। मुझे लगता है ट्रेफिक जो इन्होने केल्कुलेशन किया कि वेहिकल चलेंगी उसमें थोड़ी सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल बगल में ओ.पी. जिंदल यूनीवरसिटी है, बिल्कुल सट के। इंजिनियंरिग कालेज भी है बाकी कालेज भी है। मैने सी.पी.सी.बी. की एक रिपोर्ट देखी थी, वो है मेरे पास में। वो सबसे पॉलूटेड एरिया है, जहां पर जिंदल का इंडस्ट्रीयल स्टेट है। ये मेरी नहीं सी.पी.सी.बी.(सेन्ट्रल पालूशन कन्ट्रोल बोर्ड) की रिपोर्ट है। और कुछ नहीं उन हजारो मासूम बच्चों का ध्यान रखते जो घर छोड़ के दूर दूर से यहां शिक्षा ग्रहण करने के लिये आये है। सांस और टी.बी. की बीमारी लेकर जायेंगें। ये सब चीज नार्मल बता

रहे है और सेन्ट्रल पालूशन कंट्रोल बोर्ड, बिओन्ड लिमिट डेन्जर जोन है वहां पर। इनकी ई.आई.ए. रिपोर्ट में सब नार्मल, नार्मल बिलो डिटेक्टेबल लिमिट है।

श्रीमती तारिका तरंगीनि लकड़ा, पूंजीपथरा – ने कहा कि माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने ये केस आज की तारीख में लगा हुआ था। याचिका क्रमांक डब्ल्यू.सी.सी. 1519/17, जिस पर मान्नीय उच्च न्यायालय के ओदश जो उन्होने दिये है उसे मैं आज आपके सामने रख रही हूॅ महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत मान्नीय उच्च न्यायालय बिलासुपर छत्तीसगढ़ डब्ल्यू.सी.पी. 1519/17 द्वारा प्रस्तुत याचिका, याचिकाकर्ता नाम–गंगाराम, प्रभावित व्यक्तियों के प्रकरण में इस कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि आपकी कार्यवाही स्थगित किया जावे। याचिका क्रमांक 1519/17 का यह निर्देश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वेबसाईट पर विधिवत देखा जा सकता है। उक्त याचिका के अंतर्गत उच्च न्यायालय ने इस जनसुनवाई की कार्यवाही के संबंध में नोटिस भी जारी किया है तथा यह भी निर्देशित किया है कि आज की कार्यवाही और इससे संबंधित रिपोर्ट उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका क्रमांक 1519/17 के अधीन होगी तथा वर्तमान में यह जनसुनवाई स्थगित किया जाना है जब तक अन्य कोई निर्देश मान्नीय उच्च न्यायालय के द्वारा न किया जावे इस संबंध में स्थानीय/मूलनिवासी श्रीमती तारिका रंजनी लकड़ा, पति श्री निर्मल लकड़ा निवासी–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ द्वारा आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है

317. गुलाबदास महंत, तराईमाल – मैं समर्थन करता हूँ।
धनीराम, तराईमाल – मैं समर्थन करता हूँ।
318. लालराम, समारूमा – मैं समर्थन करता हूँ।
319. सुनील कुमार बेहरा, तराईमाल – मैं इस अत्यंत हर्ष के साथ मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ में क्षमता विस्तार के तहत् 66000 टी.पी.ए. इण्डक्शन फर्नेस, सी.वी.एम. बिलेड कास्टर, फेरोएलायज प्लांट 7500 टी.पी.ए. के ए.एफ.बी.सी. पॉवर प्लांट 17 मेगावाट एवं एफ.बी.सी. पॉवर प्लांट 8 मेगावाट उद्योग की स्थापना की जा रही है मैं उद्योग विभाग से कुछ बाते कहना चाहता हूॅ अपने क्षेत्र में जिस तरह हमारी बेरोजगारी को दूर किया है उसी तरह स्वास्थ्य के लिये में उद्योग विभाग से आग्रह करूंगा की वो ध्यान रखे कि वो आस–पास में पानी छिड़काव कराये प्रतिदिन हमारे आज के समय में बेरोजगारी बहुत बड़ गई है, सरकार के पास भी नौकरियां नहीं है हमारे क्षेत्र में विकास जरूरी है ओर विकास के साथ हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिये जरूरी है इसलिये मैं उद्योग प्रबंधन से निवेदन करता हूॅ कि बेरोजगारों को रोजगार देने का कष्ट करें। सामाजिक कार्यक्रम की ओर भी ध्यान आकर्षित करें गांव में गरीबो को सहयोग प्रदान करे जिससे उनकी लड़कीयों की शादी हो सके एवं अन्य सामाजिक कार्यो में सहयोग प्रदान करें। मैं इस प्लांट का समर्थन करता हूँ।
320. रामलाल, तराईमाल – मैं समर्थन करता हूँ।
321. सालिकराम, तराईमाल – मैं समर्थन करता हूँ।
322. पंचराम मालाकार, उपसरपंच तराईमाल – बड़ी दुख की बाात है कि कंपनी लगा है विकास भी हुआ, तरक्की भी हुआ, उद्योग प्रबंध से निवेदन है कि ई.एस.पी. नहीं चलाते है इतना धुंआ धक्कड़ हो रहा है। यहां जितने भी बृक्ष है उसमें धुल डस्ट हो रहा है। फंखा, घर के छत डस्ट से भर जा रहा है। रोड इतना व्यस्त है कि आये दिन एक्सीडेंट हो रहा है। कंपनी में एम्बुलेंस होना चाहिए। बंजारी मंदिर में एक मिनि हास्पिीटल बनवाया जाये ताकि यहा बीमार लोगो का इंतजार किया जाये। बाहर के लोगो को रोजगार मिलता है लोकल लोग घुम रहे है। पहले स्थानीय लोागो प्राथमिकता दिया जाये यहां कालेज है इंजीनियरिंग पढ़–पढ़ के निकले है उन्हे नौकरी दें। कंपनी आगे भी तरक्की करें। और विकास करें। मैं समर्थन करता हूँ।
323. मोहन, कारीछापर – मैं समर्थन करता हूँ। आने वाले पीढी को कोई परेशानी न हो।
324. अंकुर गोटिया, बंजारी मंदिर सदस्य, – बंजारी मंदिर में जो निर्माण कार्य हुआ है मेरे द्वारा किया गया है। यहां जो भी उद्योगपति आये है यहां गांव गांव में स्कूल, बिजली, आदि का व्यवस्था किये है। यहां गांव में

कोई खेती नहीं कर रहा है। पहले मिट्टी का घर था आज सभी के घर ईंट के बने है। कंपनी वाले किसी का मृत्यू होता है तो प्लांट वाले मदद करते है, लेकिन शासन वाले नहीं। गांव में कोई बीमार होता है तो कंपनी 12 बजे रात को गाड़ी ओर सुविधा मिलता है। आज जन सुनवाई 6 बार हो रहा है। यहां उद्योगपति लोग हमको सहयोग देते है। यहा एक तकलीफ है कि इस एरिया में प्रदूषण को रोके। मंदिर का विकास हो रहा है। मैं समर्थन करता हूँ।

325. कांचानिधि भोई, सराईपाली – मैं समर्थन करता हूँ। सी.एस.आर. का पैसा हमारे ऐरिया में उपयोग करें। जो प्रदूषण से प्रभावित है। सी.एस.आर. का पैसा रायपुर में उपयोग हो रहा है। आप जा के देखिये हालत हमारे गांव की।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस–पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये है जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

कंपनी प्रतिनिधि प्लांट मैनेजर श्री सतीश कुमार वर्मा ने कहा कि हमारे यहां 76 परसेंट स्थानीय कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोकल सीएसआर हमारे यहां की गई है। ग्राम पूंजीपथरा में तालाब गहरी करण की गई है और हैण्डपम्प बोरवेल की गई है। और ग्राम सामारूमा में 02 ओवरहेड टैंक लगाई गई है इसके अलावा सीएसआर के अंदर जो भी लोकल सीएसआर के अंदर कंपनी बढ़ाने के लिए या कार्य कारने के लिए कंपनी प्रयत्नशील हैं। और हमारे सामने जो नये प्रोजेक्ट आ रहे हैं। उसमें हमें 150 150 कर्मचारियों की आवश्यकता पडेगी। और योग्यता के आधार पर जो हमारे स्थानीय भाई बंधु हैं उन्हे प्राथमिकता के आधार पे नौकरी प्रदान की जाएगी तत्पश्चात् जो बाहरी लोग हैं उन्हें लिया जाएगा।

श्री ए.के. सिन्हा, पर्यावरण कंसल्टेंट के द्वारा बताया गया कि आपके द्वारा उठाए गए सुझाव एवं आपत्तियों को हम लोगों ने नोट कर लिया है। जैसा मैने पहले भी बताया था कि यह ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट है। इसमें हम लोग उन सभी चीजों को शामिल करेंगे। फिर फाइनल इ.आई.ए. रिपोर्ट बनेगी। एम.ओ.ई.एफ. को यदि कोई आपत्ति होती है, उसका वहां मूल्यांकन किया जाएगा। अगर इसमें कोई कमी लगेगी तो उसे वहां एड्रेस किया जाएगा। इसका उचित समावेश करने के बाद ही इसकी पर्यावरणीय स्वीकृति दी जायेगी। यहां कुछ मुद्दे उठे थे, जैसे फ्लाई ऐश का मामला था। जैसा की मैने पहले भी बताया था कि यहां फ्लाई ऐश का उत्पादन नहीं होता है, चूंकि कोई पॉवर प्लांट नही लगा है। पॉवर प्लांट विस्तार परियोजना में लगाया जायेगा अतः इसकी चर्चा यहां बेकार है। डोलोचार का उत्पादन यहां होता है जैसा की पहले भी बताया गया है। कि यहां पर बहुत सारे पॉवर प्लाट हैं जिनको दिया जाता है। जब विस्तार होगा तब यहां केप्टिव पॉवर प्लांट लगाया जायेगा। और यह गाईड लाईन्स के हिसाब से लगाया जायेगा। जिसमें डोलोचार का पूर्णतः उपयोग किया जायेगा। और इसमें जो वेस्टहीट जेनरेट होती है, उसका भी उपयोग करके वेस्टहीट रिकवरी बॉयलर लगाया जायेगा। इससे पॉवर जेनरेट किया जायेगा तथा इनर्जी का कन्जर्वेशन किया जायेगा। दूसरी जो चीज थी यहां पर वेस्ट मैनेजमेंट में वेस्ट वाटर इसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, प्रोसेस वाटर का रिक्वारमेंट नहीं होता है। पानी का उपयोग कुलिंग के लिए किया जाता है, ठंडा करने के लिए। फिर इसका पुनः उपयोग किया जाता है। इसका कोई उत्प्रवाह नहीं किया जाता है। इसके बाद सॉलिड वेस्ट के रूप में फ्लाई ऐश, बॉटम ऐश, डोलोचार, फेरो एलॉय इत्यादि का उत्पादन होगा। फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट बनाने में या ईंट बानाने में किया जायेगा। बॉटम ऐश एवं फेरो एलॉय स्लैग का उपयोग सड़क निर्माण या नीचे जमीन भरने में किया जायेगा। जैसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में प्रश्न उठाया गया था। वाटर कन्जरवेशन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑल रेडी यहां पर एडॉप किया जा चुका है। साथ ही हमने इसके लिए और भी प्रोग्राम प्रपोज किया है, जिसका अनुपालन किया जायेगा। ग्रीन बेल्ट यहां पर 33 परसेंट का प्रावधान है। एम.ओ.ई.एफ. सबसे पहले देखता है कि अगर ग्रीन बेल्ट 33 परसेंट नहीं लगा है

तो पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिलती है। जब तक इसको कम्प्लाई नहीं किया जायेगा इसका अप्रेजल नहीं होगा। यहां पर ऑल रेडी करीब 11000 प्लांट लगे हुए हैं। यहां पर स्टेटस काफी अच्छा है मानसून आएगा तो और भी पौधे लगाये जायेंगे जो हम लोग भी प्रपोज कर रहे हैं। इससे आराम से 33 परसेंट ग्रीन बेल्ट हो जायेगा। आपके यही ईश्यूस थे। आपकी काफी अच्छी भागीदारी रही। उम्मीद करते हैं कि ई.आई.ए. रिपोर्ट की गुणवत्ता और भी अच्छी होगी। जिससे हम लोग आगे बढ़ेगे और फैक्ट्री भी आगे बढ़ेगी।

सुनवाई के दौरान 05 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 19 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई। लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। तद्पश्चात सांय 4.00 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

(आर.के. शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(प्रियंका ऋषि महोबिया)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)